बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

गाँव-घर, खेत-खलिहान का समग्र विकास, सहकारिता के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन

2010-2011

खलिहान से सरकार द्वारा धान की अधिप्राप्ति

▲ पटना जिले के पतुत पैक्स के खलिहान से धान की अधिप्राप्ति

▲ कैमूर जिला में श्री रामाधार सिंह, सहकारिता मंत्री द्वारा धान की अधिप्राप्ति का पर्यवेक्षण

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

गाँव-घर, खेत-खलिहान का समग्र विकास, सहकारिता के साथ

वार्षिक प्रतिवेदन

2010–11

अनुक्रमणिका

खण्ड	क्रमांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
I पूर्वपीठिका	1.	सहकारिता मंत्री की कलम से	1
	2.	प्रस्तावना	2
	3.	सुशासन के कार्यक्रम	4
	4.	विभाग की मुख्य उपलब्धियॉं	7
II सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ	1.	अल्पकालीन सहकारी कृषि साख : त्रिस्तरीय ढांचा	10
		(i) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स)	10
		(ii) केन्द्रीय सहकारी बैंक	13
		(iii) बिहार राज्य सहकारी बैंक	14
	2.	प्रो0 वैद्यनाथन कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरोद्धार योजना	16
III योजनाऐं एवं उपलब्धियाँ	1.	समेकित सहकारी विकास परियोजना	18
	2.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (**NAIS**)	22
	3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	25
	4.	वार्षिक योजना	26
IV प्रमुख कार्यक्रम	1.	अधिप्राप्ति	27
	2	बिस्कोमान द्वारा अधिप्राप्ति	28
	3.	पैक्सों द्वारा खाद व्यवसाय	29
	4.	पैक्सों में गैसीफायर / चावल मिल की स्थापना	29
	5.	पैक्सों में सदस्यता वृद्धि अभियान	29
	6.	पैक्सों भंडारण क्षमता की अभिवृद्धि	29
	7.	पैक्सों में जमावृद्धि योजना	30
	8.	व्यापारमंडलों का पुर्नगठन	30
	9.	मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन	30
V प्रमुख सहकारी संस्थान	1.	बिहार राज्य सहकारी संघ लि0	31
	2.	बिहार राज्य सहयोग कय विकय संघ समिति (**BISCOMAUN**)	33
	3.	बिहार राज्य भंडार निगम	35
	4.	बिहार स्टेट हाउसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0	37
	5.	केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार	38
	6	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	38
	7	व्यापारमंडल	39
	8	सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर।	39
VI लेखा अंकेक्षण	1.	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण।	42
	2.	वैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में पैक्सों के अंकेक्षण / विशेष अंकेक्षण।	44
VII परिशिष्ट	1.	परिशिष्ट–**I** – विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियॉं	47
	2.	परिशिष्ट–**II** – राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	48
	3.	परिशिष्ट–**III** – विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	49
	4.	परिशिष्ट–**IV** – सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय।	50

1. माननीय सहकारिता मंत्री की कलम से

सहकारिता विभाग का वर्ष 2010–11 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

वर्ष 2010 के विधान सभा निर्वाचन एवं नई सरकार के गठन के पश्चात् न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत "न्याय के साथ विकास" के संकल्प को दुहराते हुए आगामी 05 वर्षों (2010–15) में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के निमित्त सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु सुशासन के कार्यक्रम (2010–15) को सहकारिता विभाग में लागू करने हेतु हम संकल्पित हैं। इस कड़ी में सर्वप्रथम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर की सभी सहकारी समितियों में पूर्ण प्रजातांत्रिक पद्धति लागू करने हेतु चुनाव प्राधिकार द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जा रहा है, जिसका प्रभाव राज्य में स्पष्टतया परिलक्षित हो रहा है।

उक्त सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत "न्याय के साथ विकास" के संकल्प के निमित्त ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में राज्य में गठित 8463 प्राथमिक कृषि साख समितियो (पैक्सों) का सुदृढ़ीकरण कर इसे वैकल्पिक अभिकरण के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु पैक्सों का उपयोग किया जायेगा। एतदर्थ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 200 पैक्सों में गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पैक्सों में किसानों के जरूरत की सभी वस्तुएं यथा खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि एक ही जगह पर उपलब्ध हो। राज्य में सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्य एवं निर्धारित समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु पैक्सों के माध्यम से ही इफको एवं कृभकों के द्वारा आवंटित उर्वरक के विपणन की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य में लगे हुए निजी स्वावलंबी सहकारी समितियों को इफको एवं कृभकों के उर्वरक विपणन के कार्य को बन्द करने की योजना विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जा रहा है कि अन्य उर्वरक कंपनियों के द्वारा इस राज्य को आवंटित उर्वरक में से 25% उर्वरक का विपणन पैक्सों के माध्यम से किया जाय। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर "खलिहान से धान एवं गेहूँ की "अधिप्राप्ति" के कार्य में पैक्सों को जोड़कर इसे किसानों की हितकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में सम्प्रति 5.00 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य के विरूद्ध अबतक 3.00 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। शेष लक्ष्य की पूर्त्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, साथ ही पैक्सों से राज्य के किसानों को पूर्ण लाभ देने हेतु इन्हें बसुधा केन्द्रों से जोड़ने की योजना प्रस्तावित है।

पैक्सों के साथ–साथ इनकी केन्द्रीय सहकारी संस्था जिला स्तरीय सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक तथा शीर्ष सहकारी संस्था स्टेट को–ऑपरेटिव बेंक को भी वैद्यनाथन कमिटि की अनुशंसा के अधीन सुदृढ़ किया जा रहा है। वैद्यनाथन कमिटि के अनुशंसा के तहत पैक्सों हेतु 27.44 करोड़ एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु 15.47 करोड़ रू0 राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि के रूप में विमुक्त कर दिया गया है। इस त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे की मदद से फसल बीमा योजना, अल्पकालीन ऋण वितरण, जमा वृद्धि योजना, खाद व्यवसाय आदि कार्य किये जा रहे हैं। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है, 37 जिलों में केन्द्रीय बैंकों के पुनर्जीवन / नवगठित करने का प्रयास प्रक्रियाधीन है। बिहार राज्य के 14 जिलो में नये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का गठन प्रक्रियाधीन है। पैक्सों के कृषक सदस्यों को निकटस्थ स्थान से सहकारिता बैंकिंग उपलब्ध कराने हेतु राज्य सभी प्रखंडों में जिला केन्द्रीय सहकारिता बैंकों की शाखाएँ खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

सहकारी क्षेत्र में आधारभूत संसाधनों के विकास हेतु समेकित सहकारी विकास परियोजना किसानों के फसल अधिप्राप्ति हेतु सहकारी क्षेत्र की शीर्ष विपणन संस्था बिस्कोमान का पुनर्जीवन पैकेज, गैसीफायर / चावल मिल की स्थापना आदि प्रगतिमूलक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

आशा है आगामी समय में सहकारिता बिहार राज्य के विकास का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

जय किसान! जय जवान! जय विज्ञान! जय सहकारिता!

(रामाधार सिंह)
मंत्री
सहकारिता विभाग

2. प्रस्तावना

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए सहकारिता विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन बिहार सरकार के सुशासन कार्यक्रम के अन्तर्गत "न्याय के साथ विकास" की अवधारणा के सहप्रयास के रूप में आपके समक्ष उपस्थापित है।

बिहार के बढ़ते कदम की विकास यात्रा में बिहार सरकार का सहकारिता विभाग कदम से कदम मिलाते हुए उन नई उँचाईयों को छूने को उत्साहित है, जिनसे नये बिहार का निर्माण होगा।

महात्मा गांधी के शब्दों में – "यदि सहकारी प्रयास के लिए इच्छा शक्ति पैदा कर ली जाती है, तो सहकारिता में श्रम विभाजन, समय की बचत और कार्य में कुशलता लाने के लिए प्रचुर अवसर विद्यमान हैं।" राष्ट्रपिता के उक्त सूत्र को मूल मंत्र मानकर सम्प्रति सहकारिता विभाग बिहार के किसानों के हित में बिहार सरकार के "कृषि रोड मैप" का हमसफर बनकर कृषि विकास के लिए तत्पर है। यह सत्य है कि औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रांति के इस युग में भी "कृषि" ही भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राण है। यह भी सर्वविदित है कि कृषि और सहकारिता में अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों ही परस्पर के पूरक हैं। विशेषकर झारखंड विभाजन के बाद बिहार के विकास का एकमात्र सबल आधार "कृषि" है और कृषि सहकारिता से अनुप्राणित होती है। बिहार की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करने के लिए विगत वर्षों में जिन कार्यक्रमों को प्रमुखता प्रदान की गई हैं, वे निम्न हैं–

- प्रोफेसर वैद्यनाथन कमिटि की अनुशंसाओं एवं वैश्विक उदारीकरण द्वारा बदले हुए परिवेश में सहकारी नीतियों में आमूल–चूल परिवर्त्तन।
- सहकारी संस्थाओं को अधिक मुखर एवं क्रियाशील बनाने हेतु सहकारी अधिनियम में समीचीन संशोधन।
- सरकारी कार्यक्रमों से सीधा जुड़ाव रखने वाली सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन।
- पैक्सों को व्यापक जनाधारवाली जनतांत्रिक संस्था के रूप में विकसित करने हेतु सदस्यता वृद्धि अभियान। वर्ष 2010–11 (जनवरी, 11) तक कुल 96.42 लाख सदस्य।
- सदस्यता वृद्धि अभियान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा उनके सदस्यता–शुल्क एवं हिस्सा पूँजी का भुगतान। अनुसूचित जाति/जन–जाति, अतिपिछड़ों, पिछड़ों एवं महिला वर्ग के नये 4505262 सदस्यों को पैक्सों से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उनके हिस्सा–पूँजी/सदस्यता–शुल्क मद में रू0 495.61 लाख का भुगतान किया गया है।
- राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन करा कर पैक्सों में जनतांत्रिक प्रबंधकारिणी समितियों का गठन।

- अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार राज्य के अतिरिक्त 14 जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों का गठन प्रक्रियाधीन।
- राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने हेतु खरीफ, 2011 में 5.00 लाख मेट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित, जिसके विरूद्ध 3.00 लाख मेट्रिक टन की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जा चुकी है।
- राज्य में किसानों के फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति की प्रतिपूर्त्ति हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ, 2010 मौसम में 880058 कृषकों का रु0 2033.46 करोड़ (औपबन्धिक) का फसल बीमा किया जा चुका है। साथ ही दो अन्य बीमा योजनाएं भी लागू हैं। पायलट मौसम अवधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत रब्बी 2009–10 में 329405 कृषकों को रू0 67.99 करोड़ क्षतिपूर्त्ति भुगतान किया गया। रब्बी 2010–11 में मुंगेर, जमुई एवं शिवहर जिले में मोडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण में पैक्सों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कुटीर उद्योगों के उर्जा संबंधी समस्या को दूर करने के लिए बायोमास गैसीफायर/चावल मिल की स्थापना कार्य प्रगति में है। कुछ पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित किया जा चुका है।
- राज्य में भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किया जा रहा है।
- समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण द्वारा भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि की जा रही है। राज्य के सात जिलों में यह परियोजना पूर्व से लागू है। वर्ष 2009–10 में तीन जिलों कैमूर, खगड़िया एवं शिवहर में यह परियोजना स्वीकृत की गई तथा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2010–11 में प्रथम चरण की स्वीकृत राशि की निकासी की जा चुकी है। वर्ष 2010–11 में वैशाली एवं नालन्दा जिलों में यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से क्रमशः 4256.75 लाख एवं 3321.22 लाख की लागत से कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गयी है। विभाग द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में औरंगाबाद सहित शेष सभी जिलों में इस परियोजना को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत 2010–11 में लखीसराय, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्णियाँ, जमुई, बेतिया एवं अरवल जिलों में परियोजना लागू करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की स्वीकृति एन0सी0डी0सी0 से प्राप्त हुई है तथा पटना, नवादा, कटिहार, सहरसा, सुपौल, बांका एवं भागलपुर में परियोजना लागू करने हेतु एन0सी0डी0सी0 की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
- प्रो0 वैद्यनाथन कमिटि की अनुशंसाओं के अनुरूप सरकार द्वारा राज्य के पैक्सों एवं सहकारी बैंकों के संचित हानि को समाप्त करते हुए इन्हें सुदृढ़ एवं जीवंत बनाने के लिए द्वितीय चरण में 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 20 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिए एस0 एल0 आई0 सी0 द्वारा 385.84 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंकों का हिस्सा क्रमशः 300.96, 15.47 एवं 69.41 करोड़ रूपये है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण राशि 15.47 करोड़ रूपये विमुक्त कर दिया गया है।

उक्त प्रस्तावना के अधीन सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में विभिन्न सहकारी संस्थाओं/योजनाओं के माध्यम से हासिल की गईं उपलब्धियों का तथ्यपरक विवरण आगे के पृष्ठों पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी रचनात्मक समीक्षा एवं बहुमूल्य सुझाव के लिए सहकारिता विभाग आभारी रहेगा।

***

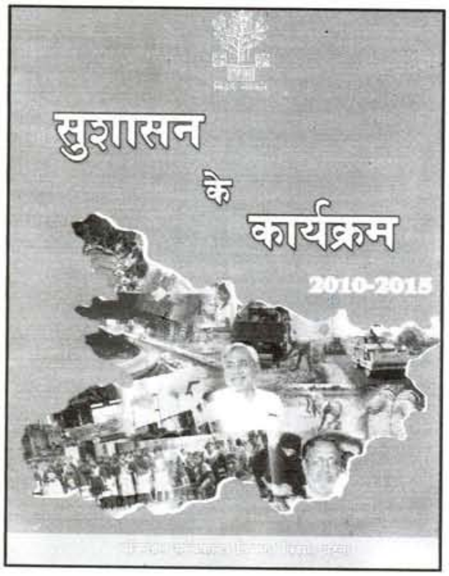

3. सुशासन के कार्यक्रम

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प सं0 5/मं0मं0स0 (ज0 शि0) विविध–05/2010–1717 एवं 1751 द्वारा बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित संकल्प द्वारा बिहार सरकार के प्रधान सचिव के हस्ताक्षर सुशासन के कार्यक्रम (2010–2015) के अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक–कल्याणकारी कार्यक्रम नीति को लागू करने एवं इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य सरकार के सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को निदेश जारी किये गये हैं।

सुशासन के कार्यक्रम के तहत सहकारिता आन्दोलन को प्रभावकारी बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:–

1. पैक्सों का सुदृढ़ीकरण :–

पैक्सों के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये जा रहें हैं–

(क) भंडारण क्षमता में वृद्धि:–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा समेकित सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत पैक्सों के भंडारण क्षमता की वृद्धि हेतु गोदाम निर्माण। समेकित सहकारी विकास योजना के तहत 2010–11 में 100 मेट्रिक टन क्षमता के 709 गोदाम निर्मित किये जा चुके हैं तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 350.00 लाख रूपये का तथा वर्ष 2010–11 में 1496.19 लाख रूपये का उपबंध किया गया है।

(ख) पैक्सों में खाद व्यवसाय:–

कुल 8463 पैक्सों में से 5843 पैक्सों को खाद–व्यवसाय हेतु लाइसेन्स प्राप्त है। इनमें से 3833 पैक्स खाद व्यवसाय से जुड़े हैं। वर्ष 2010–11 में पैक्सों द्वारा दिसम्बर'10 तक 2.28 लाख मेट्रिक टन खाद का व्यवसाय किया गया, जिसमें रू0 10851.33 लाख की राशि अर्न्तनिहित है।

(ग) पैक्सों में गैसीफायर/चावल मिल की स्थापना:–

प्रारम्भ में हर जिले के 10 पैक्सों में बायोमास गैसीफायर संयत्र बैठाने तथा उक्त संयंत्र के द्वारा बिजली उत्पादन के साथ–साथ चावल मिल स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है, ताकि अधिप्राप्ति धानों की कुटाई स्थानीय स्तर पर पैक्सों द्वारा सुलभ कराई जा सके।

(घ) पैक्सों को जनवितरण प्रणाली से जोड़ना:–

पैक्सों को आर्थिक रूप से समुन्नत करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा एक

जनापयोगी निर्णय लेकर पंचायत स्तर पर गठित पैक्सों को जन वितरण प्रणाली की दुकान उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य पैक्सों को लोकोपयोगी बनाने के साथ–साथ उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है।

2. व्यापारमंडलों का पुर्नगठन :–

पंचायत स्तर पर पैक्सों को पुर्नगठित कर उनमें राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा नई जनतांत्रिक प्रबंधकारिणी की स्थापना के बाद सहकारिता विभाग की प्राथमिकता प्रखंड स्तर पर व्यापारमंडलों का पुनर्गठन कर वहाँ राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा प्रजातांत्रिक ढंग से निर्वाचित प्रबंधकारिणी के गठन का है। साथ नवसृजित प्रखंडों में, जहाँ पूर्व से व्यापारमंडल का गठन नहीं किया जा सका है, वहाँ व्यापारमंडलों का गठन कर प्रखंड स्तरीय विपणन सहकारी संस्था को मजबूती प्रदान करना है।

3. मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुर्नगठन :–

सहकारिता विभाग राज्य में मत्स्यपालन विकास की संभाव्यता के उद्देश्य से एक प्रखंड में मात्र एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया चल रही है। एक प्रखण्ड में अवस्थित स्वावलम्बी अधिनियम अथवा अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत गठित सभी समितियों का पुनर्गठन कर अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत मात्र एक समिति के पुनर्गठन संबंधी प्रयास चल रहें है। इसका उद्देश्य विभिन्न समितियों के बीच निरन्तर चलने वाले जलकर विवाद के जड़ को समूल नष्ट कर प्रखंड के सभी मत्स्यपालकों को एक छतरी के नीचे लाकर उनका आर्थिक विकास करना है।

4. केन्द्रीय सहकारी बैंको का पुर्नजीवन / गठन :–

पंचायत स्तरीय पैक्स, प्रखंड स्तरीय व्यापारमंडल तथा मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के पुर्नगठन के साथ–साथ इन समितियों की केन्द्रीय सहकारी संस्था जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ किया जा रहा है।

वैसे जिला जहाँ सम्प्रति केन्द्रीय सहकारी बैंक परिसमापित हैं अथवा अस्तित्व में नहीं है। वैसे जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना / पर्नुगठन प्रस्तावित है। सम्प्रति चौदह जिलों में नये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का गठन प्रकियाधीन हैं।

5. बिस्कोमान का पुनर्जीवन पैकेज :–

पंचायत स्तरीय पैक्स, प्रखंड स्तरीय व्यापारमंडल एवं मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ, जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के साथ–साथ सहकारिता विभाग राज्य में सहकारी समितियों के बीच पणन को बढ़ावा देने वाली शीर्ष सहकारी संस्था बिस्कोमान को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु सहकारिता विभाग ने वर्ष 2010–11 में रु0 62 करोड़ का रिभाईभल पैकेज प्रस्तावित किया है, जो बजटीय आवंटन प्रक्रिया के अधीन है।

6. धान / चावल अधिप्राप्ति :–

सहकारिता विभाग राज्य के किसानों को उनके खलिहान में सुगमता पूर्वक धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुलभ कराने के लिए बिस्कोमान एवं पैक्सों के माध्यम से ''खलिहान मे अधिप्राप्ति'' कार्यक्रम संचालित कर रही है।

इस प्रकार एक ओर जहाँ पैक्सों में अधिप्राप्ति व्यवसाय हो रहा है, दूसरी ओर प्रदेश के किसानों को दरवाजे पर सरकार द्वारा निर्धारित ''न्यूनतम समर्थन मूल्य'' सुलभ हो रहा है। प्रदेश के किसानों को खुशहाल बनाने की दिशा में बिस्कोमान द्वारा संचालित एक महत्त्वपूर्ण कार्य है।

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से रब्बी विपणन मौसम 2010–11 में पैक्सों / बिस्कोमान द्वारा कुल 90,000 मेट्रिक टन गेहूँ एवं खरीफ 2010–11 में बिस्कोमान एवं पैक्स द्वारा 5.00 लाख मेट्रिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 3.00 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है।

7. सहकारिता के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण :–

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के बिहार गजट के आसाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना सं0 5 / मं.मं.सं. (ज0शि0) विविध–05 / 2010–1717 एवं 1751 दिनांक 15 / 22 दिसंबर, 2010 के साथ संलग्न सुशासन के कार्यक्रम के अल्पसंख्यक कल्याण की कंडिका–17 में बिहार राज्य धुनिया, रंगरेज, दर्जी को–ऑपरेटिव फेडरेशन को सुदृढ़ बनाकर इन पेशों से जुड़े लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सुनिश्चित किये जाने की बात कही गई है।

उल्लेखनीय है कि सहकारिता के माध्यम से बिहार राज्य के धुनिया, रंगरेज और दर्जी पेशे से जुड़े लोगों की दशा सुधारने हेतु ''बिहार राज्य धुनिया, रंगरेज, दर्जी को–ऑपरेटिव फेडरेशन (धुरद)'' का निबंधन बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत किया गया है।

8. बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा भंडारण :–

सहकारी भंडारण के क्षेत्र में बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा पूरे प्रदेश में गोदामों एवं कोल्ड स्टारेज के माध्यम से किसानों के माल को संरक्षित रखने की सुविधा प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य भंडार द्वारा 1.00 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। सम्प्रति निगम की कुल भंडारण क्षमता 30.12 लाख मेट्रिक टन है, जिसमें 17.40 मेट्रिक टन स्वनिर्मित तथा 12.72 लाख मेट्रिक टन किराये के गोदाम हैं।

****

4. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

वर्ष 2010–2011

क्र0	योजना	लाभान्वितों की संख्या	उपलब्धि
1.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना		
	(क) खरीफ 2009 मौसम	397864	466.58 करोड रु0 का क्षतिपूर्ति अनुमान्य
	(ख) रबी 2009–10	357062	1050.27 करोड़ का बीमा
	(ग) खरीफ 2010 मोसम	880058	2033.46 करोड़ का बीमा (औपबंधिक) ।
2.	मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	—	रबी 2010–11 में मुंगेर जमुई एवं शिवहर जिलों में लागू की गई है ।
3.	पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना	—	
	(क) रबी 2009–10 मौसम	329405	67.99 करोड़ का क्षतिपूर्ति भुगतान
	(ख) खरीफ 2010 मौसम	408823	939.96 करोड़ रु0 का बीमा
4.	अधिप्राप्ति		
	(क) खरीफ 2010–11 में सहकारी संस्थाओं द्वारा धान की अधिप्राप्ति	—	5 लाख मे0 टन लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 3 लाख मे0 टन धान की अधिप्राप्ति
	(ख) अधिप्राप्ति हेतु के0सह0बैंकों द्वारा पैक्सों को वित्तीय सहायता		48.00 करोड़
5.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना		
	(क) वर्ष 2008–09 गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना	40 पैक्स	48.00 लाख रु0 विमुक्त
	(ख) वर्ष 2009–10 गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थाना	8 पैक्स / व्यापार मंडल	104.00 लाख रुपये
	(ग) वर्ष 2009–10 गोदाम निर्माण	1. 20 पैक्स 2. 20 व्यापार मं0	66 लाख रुपये 80 लाख रुपये
	(घ) गैसीफायर के साथ चावल मिल की स्थापना (वर्ष 2010–11)	50 पैक्स / व्यापार मंडल चयनित	
	(ङ) पैक्सों में गोदाम निर्माण (वर्ष 2010–11)	100 पैक्स का चयन	
6.	बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा गोदाम निर्माण		50 हजार मेट्रिक टन की क्षमता
7.	पैक्सों में जमा वृद्धि योजना वर्ष 2011–11 में 1849 पैक्सों की जमा वृद्धि	1849 पैक्स	17532.91 लाख रुपये कुल जमा
8.	पैक्सों में खाद्य व्यवसाय (2010–11)	5843 पैक्स	227770.92 मेट्रिक टन का उठाव (10851.33 लाख रु0)

9.	अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण (क) 2010–11 खरीफ मौसम (ख) 2010–11 रबी मौसम	——	 281.86 करोड़ रुपये 80.40 करोड़ रुपये
10.	नये केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन	14	पुनर्गठन प्रक्रियाधीन
11.	व्यापार मंडलों का पुनर्गठन नवसृजित प्रखंडों में नये व्यापाल मंडल का पुनर्गठन अंतिम चरण में	130 पूर्ण 1 में प्रक्रियाधीन	9 व्यापार मंडलों का पुनर्गठन तकनीकि कारणों से लंबित
12.	मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन प्रत्येक प्रखंड में मात्र 1 मत्यजीवि सहकारी समितियों का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन ।	56 समितियों का पुनर्गठन हो चुका है ।	शेष प्रखंडों में प्रक्रियाधीन है ।
13.	पुनर्गठित पैक्सों में नये सदस्यों की वृद्धि (क) कमजोर वर्ग के सदस्यों की वृद्धि जिन्हें सरकार से एक हिस्सा पूंजी एवं सदस्यता शुल्क का भुगतान किया गया ।	58 लाख 45.05 लाख	 495.61 लाख रुपये
14.	किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण	836566	102270.00 लाख रुपये
15.	समेकित सहकारी विकास परियोजना		
	(क) कार्यान्वित जिले (गोपालगंज, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी)	4	4445.93 लाख रुपये
	(ख) वर्तमान में कार्यान्वित योजनाये (आरा, छपरा, सीवान)	3	3369.97 लाख रुपये
	(ग) नयी स्वीकृत परियोजनाये (कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली एवं नालंदा	5	11423.17 लाख रुपये
	(घ) एन0सी0डी0सी0 को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु प्रेषित (जहानाबाद एवं अररिया)	2	——
	(च) एन0सी0डी0सी0 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु स्वीकृति जिला (लखीसराय, जमुई, दरभंगा, बेगुसराय एवं पूर्णियाँ)	5	——
	(छ) एन0सी0डी0सी0 द्वारा परियोजना लागू करने हेतु स्वीकृत जिला (बेतिया, अरवल, पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बांका एवं भागलपुर)	9	——
	(ज) 11वीं पंचवर्षीय योजना में शेष अन्य जिलों को इस परियोजना को अच्छादित करने की योजना है ।		

16.	आई0सी0डी0पी0 परियोजना में भौतिक उपलब्धि		
	(क) पैक्स में गोदाम निमार्ण	709 पैक्स	
	(ख) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण	37	
	(ग) व्यापार मंडलों में पुराने गोदाम की मरम्मति	33	
17.	व्यावसायिक उपलब्धि	---	3678 लाख रुपये का व्यवसाय
18.	प्रो0 बैद्यनाथ कमिटि की अनुशंसा पर आधारित पुनरुद्धार योजना		
	I. (क) कुल पैक्सों की संख्या	8463 पुनर्गठन के पश्चात	
	(ख) योजना में आच्छादित पैक्सों की संख्या	7836	
	(ग) कुल पुनरुद्धार पैकेज (पैक्सों का)	425.63 करोड़	
	A. भारत सरकार का हिस्सा	308.87 करोड़	भारत सरकार द्वारा 265.06 करोड़ रु0 की राशि विमुक्त
	B. बिहार सरकार का हिस्सा	27.44 करोड़	राज्य सरकार द्वारा 27.44 करोड़ रु0 की राशि विमुक्त
	C. पैक्सों का हिस्सा	89.32 करोड़	
	II. (क) केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या	22	
	(ख) योजना से आच्छादित बैंकों की सं0	20	
	(ग) कुल पुनरुद्धार पैकेज (बैंको का)	385.84 करोड़	
	A. भारत सरकार का हिस्सा	300.96 करोड़	
	B. बिहार सरकार का हिस्सा	15.47 करोड़	राज्य सरकार द्वारा 15.47 करोड़ रु0 की राशि विमुक्त
	C.बैकों का हिस्सा	69.41 करोड़	

19. अन्य उपलब्धियाँ

A. 20 समितियों में चावल मिल की स्थापना

B. 24 समितियों में कम्पोजिट यूनिट की स्थापना

C. 17 समितियों में एग्री क्लिनिक की स्थापाना

D. 09 चावल मिलों में गैसीफायर स्थापित ।

E. झंझारपुर व्यापार मंडल में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना ।

F. जमालहाता बुनकर सहयोग समिति, सीवान में गैसीफायर की स्थापना ।

G. जमालहाता बुनकर सहयोग समिति, सीवान में गैसीफायर की स्थापना ।

20. राष्ट्रीय सहकार मेला, जयपुर, 2010 में बिहार की उपलब्धि : बिहार की तीन समितियों को पुरस्कृत किया गया ।

*****

II. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

1. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख : त्रिस्तरीय ढांचा

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार विभाजन में झारखंड के खनिज बाहुल्य प्रदेशों के झारखंड राज्य में चले जाने के पश्चात् खनिज की रायल्टी रहित बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। सहकारिता कृषि का प्राण है और कृषि एवं कृषि पर निर्भर रहने वाले किसानों को, खरीफ और रबी फसली मौसम में जब अल्पकालीन ऋण की जरूरत होती है, तब सहकारी समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष लि० राज्य सरकार की गारण्टी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी अधिकोष के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को निर्धारित मापदण्ड पर अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराता है। सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने हेतु राज्य में त्रिस्तरीय सहकारी संरचना उपलब्ध है :–

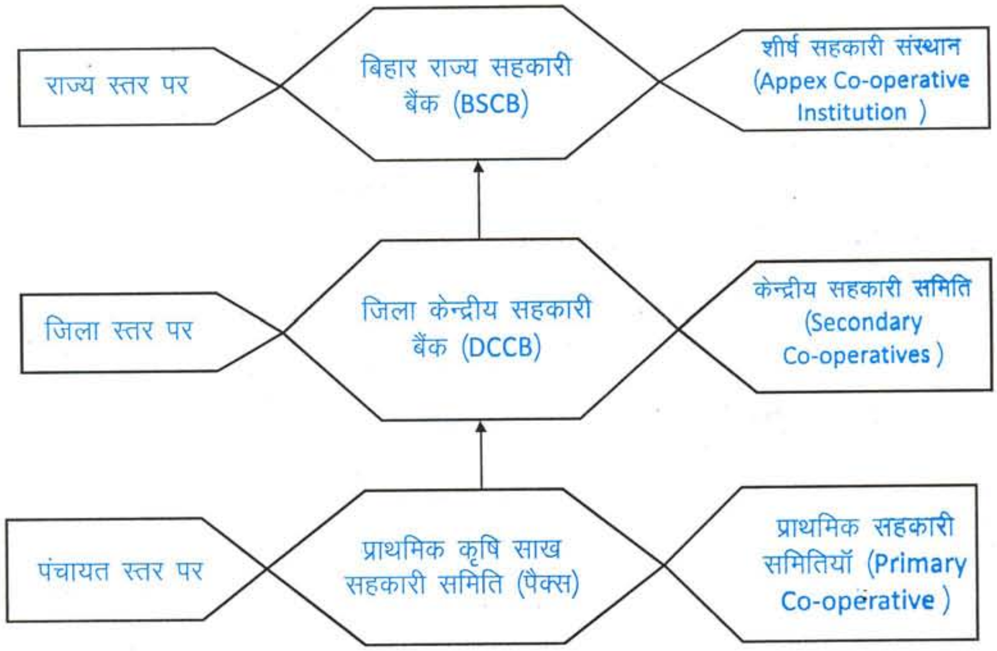

(i). प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स)

सुशासन के कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत वर्षों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के केन्द्र के रूप में विकसित करने के निमित्त एक नई पहल करते हुए संस्थागत सुधार के क्रम में राज्य के प्रत्येक पंचायत में पैक्स का गठन का निर्णय लिया गया। उक्त पहल के अन्तर्गत पैक्सों का पुर्नगठन किया गया। वर्ष 2003–04 में कुल पैक्सों की संख्या 5936 थी। बहुत से पैक्स ऐसे थे जिनमें एक से अधिक पंचायत के गांव शामिल थे। पुर्नगठन के पश्चात आज बिहार के 8463 पंचायतों में 8463 पैक्स गठित हैं। पैक्सों में आम जनों की

पैक्स गोदाम

भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया और वर्ष 2008–09 में 55 लाख नये सदस्यों को पैक्सों से जोड़ा गया। सम्प्रति पैक्सों की कुल सदस्यता संख्या 96.42 लाख है। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, सरकार द्वारा इनके एक हिस्सा राशि एवं प्रवेश–शुल्क का भुगतान किया गया। वर्ष 2009–10 में इस मद में 4505262 सदस्यों के लिए सदस्यता–शुल्क/हिस्सा–पूँजी मद में 495.61 लाख रूपये का भुगतान किया गया। पैक्सों में जनतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रबंधन में कमजोर वर्गों (अनु0 जाति, अनु0 जन–जाति, पिछड़ा वर्ग, अतिपिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं) के प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इन वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान के तहत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार गठित कर प्राधिकार की देख–रेख में निर्वाचन कराकर नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी के हाथों पैक्सों का प्रबंधन सौंपा गया।

पैक्सों को सुदृढ़ एवं जीवंत बनाने के लिए प्रो0 ए0 वैद्यनाथन कमिटि की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरूद्धार पैकेज के तहत पैक्सों की संचित हानी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई। एतदर्थ पैक्सों की लेखाओं का विशेष अंकेक्षण कराया गया एवं हानी की भरपाई की गई।

इस पैकेज के तहत प्रथम चरण में राज्य के कुल 8463 पैक्सों में से कुल 7836 पैक्सो के लिए कुल 425.63 करोड़ रू0 की पुनरूद्धार पैकेज की स्वीकृति एस0 एल0 आई0 सी0 द्वारा दी गई है। जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सम्बन्धित पैक्सों का हिस्सा क्रमश: 308.87, 27.44 एवं 89.32 करोड़ रू0 है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण राशि 27.44 करोड़ रू0 एवं भारत सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि 308.87 करोड़ रू0 में से 265.06 करोड़ रू0 की राशि भी विमुक्त कर दी गयी है।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स)

(वित्तीय स्थिति) (राशि लाख रु. में)

वर्ष	पैक्स की संख्या	सदस्य संख्या (हजार में)	हिस्सापूँजी	सुरक्षित निधि	जमा राशि	कार्यशील पूँजी
2002-03	5936	3656	8017.15	195.15	4742.45	48612.16
2003-04	5936	3665	8037.04	198.34	4894.43	50526.66
2004-05	5936	3668	8152.59	201.08	4992.32	47654.84
2005-06	5936	3804	8506.45	247.48	5986.33	44336.52
2006-07	5969	3831	8509.15	247.32	6115.48	46185.95
2007-08	5969	3997	8888.01	254.18	6672.65	49337.04
2008-09	8463	9435	पुनर्गठन के पश्चात् एसेट्स एवं लाईबलिटी का निर्धारण कार्य प्रगति पर।			
2009-10	8463	9637				
2010-11	8463	9642				

अल्पकालीन ऋण वितरण की प्रगति

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2006-07	69000.00	29553.78
2007-08	37200.00	35584.91
2008-09	65000.00	24720.34
2009-10	99909.00	35252.73
2010-11	80700.00	36226.27 (up to 10.02.2011)

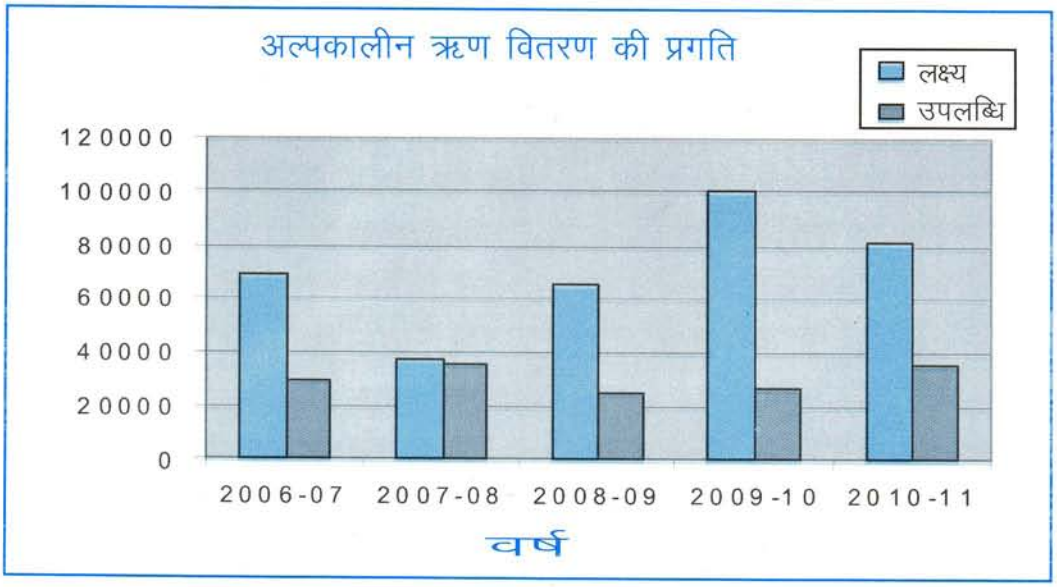

अल्पकालीन ऋण माँग एवं वसूली की प्रगति

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	माँग	वसूली
2006-07	60388.48	36118.35
2007-08	60155.30	20318.11
2008-09	63266.19	34321.73
2009-10	55101.77	27382.07
2010-11	53364.54	22963.76(up to 31.12.10)

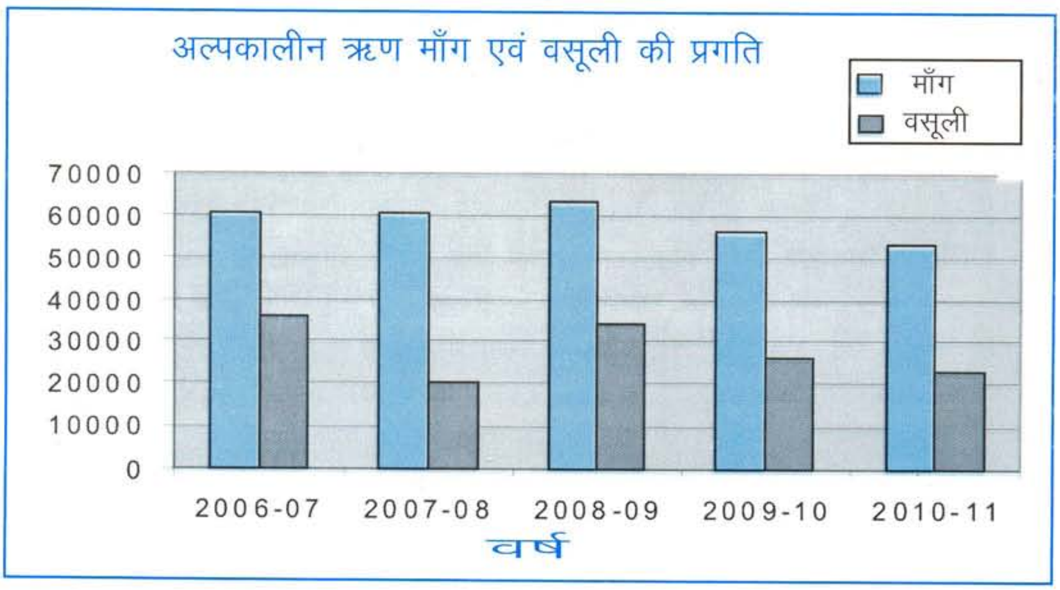

(ii). केन्द्रीय सहकारी बैंक

त्रिस्तरीय अल्पकालीन कृषि साख संरचना में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की केन्द्रीय (Secondary) सहकारी समिति के रूप में जिला स्तर पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। जिला में अवस्थित सभी पैक्स केन्द्रीय सहकारी बैंक के सदस्य होते हैं। केन्दीय सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति और शीर्ष सहकारी संस्था बिहार राज्य सहकारी बैंक के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्त्ती वित्त पोषक बैंक है।

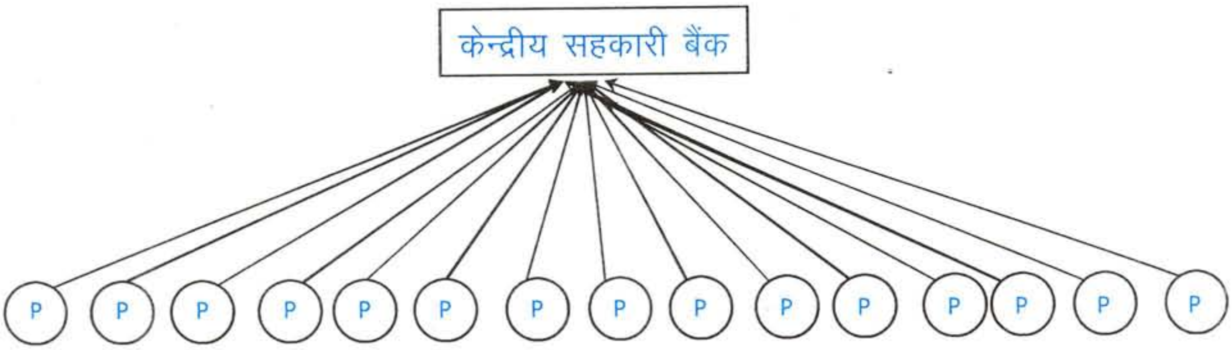

राज्य में कुल 22 (बाईस) जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक सम्प्रति कार्यरत हैं। कृषि साख के सुदृढ़ीकरण हेतु जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक परिसमापित हो चुके हैं, यथा छपरा, दरभंगा एवं मधेपुरा वहॉ तत्काल राज्य सहकारी बैंक की एक शाखा खोलने के साथ–साथ नये केन्द्रीय सहकारी बैंक खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है। जिन जिलों में पूर्व से केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है, वहॉ नये केन्द्रीय सहकारी बैंक का गठन प्रक्रियाधीन हे। एतदर्थ नाबार्ड के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से पत्राचार किया जा रहा है।

विगत सात वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समेकित वित्तीय स्थिति निम्नवत है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या	हिस्सापूँजी		सुरक्षित निधि	वर्ष के दौरान वितरित ऋण	मॉग	वसूली
		कुल	राज्य सरकार				
2004-05	22	7793.83	3156.49	4417.49	27374.77	59329.23	23007.01
2005-06	22	17024.16	11656.49	4919.84	23460.76	64515.25	31489.39
2006-07	22	17524.16	11656.49	4946.82	29553.78	60388.48	36118.35
2007-08	22	17618.22	11656.49	4965.72	35584.91	60155.30	20318.11
2008-09	22	17620.12	11656.49	4979.82	24720.34	37076.17	22644.81
2009-10	22	17638.85	11656.49	4982.72	35252.73	55101.77	27382.07
2010-11	22	17648.95	11656.49	5521.98	36226.27	53364.54	22963.76 [up to 31.12.10]

(iii). बिहार राज्य सहकारी बैंक

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख के त्रिस्तरीय ढांचे के अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व करता है। यह बैंक राज्य सरकार की गारण्टी पर नाबार्ड से ऋण प्राप्त कर एवं अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारिता बैंक की 16 (सोलह) शाखायें कार्यरत हैं जिसमें से 12 (बारह) शाखायें पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय किया जाता है तथा गैर–कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह ऋण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी प्रदान किया जाता है। विगत पॉच वर्षों में बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परविर्त्तन आया है, जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है।

बिहार राज्य सहकारी बैंक का प्रमुख उद्देश्य राज्य के लघु–सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रबी फसल की बोआई के समय उनके साख जरूरतों को जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों और पंचायत स्तरीय पैक्सों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराना है। कृषकों के अतिरिक्त वेतनभोगी और कमजोर नबके के लोगों को सहकारी समितियों के माध्यम से वांछित कोष उपलब्ध कराना है।

इस बैंक के आगामी कार्यक्रम निम्न है :–

1. कुल 16 शाखाओं में से शेष 12 पूर्णतः कम्प्युट्रीकरण प्रकियाधीन है।
2. पटना में बैंक के एक ए0 टी0 एम0 लगाने की योजना विचाराधीन है।
3. छपरा, दरभंगा और मधेपुरा जिलों में, जहॉ सम्प्रति जिला स्तरीय केन्दीय सहकारी अधिकोष परिसमापनाधीन है, वहॉ राज्य सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने की नीति के तहत छपरा और दरभंगा में खोले जा चुके हैं तथा मधुबनी प्रक्रिया के अधीन है।
4. बैंक के मुख्यालय को जिलास्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों और पैक्सों के साथ इन्टरनेट सुविधा के तहत ऑन लाईन किये जाने तथा ग्राम स्तर तक व्यवसाय विस्तार की योजना प्रस्तावित है।

विविगत चार वर्षों में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि0 की वित्तीय स्थिति निम्नवत है :–

क.सं.	विवरण	31/03/08 तक	31/03/09 तक	31/03/10 तक	31/01/11 तक
1	हिस्सा पूँजी	1838.26	1870.81	1881.08	1881.08
2	आरक्षित	1346.80	13720.69	17772.26	5415.42
3	प्रावधान	20336.06	20890.58	20599.65	-
4	सकल लाभ	3232.14	3207.15	-	3429.56
5	धारित निधि	39052.26	39689.23	39689.23	43682.55
6	जमा	83801.89	115905.59	115905.59	144986.23
7	उधारी	5294.62	6239.38	6239.38	10824.77
8	कार्यशील पूजी	140578.80	177550.30	223480.71	220975.42
9	निवेश	52302.93	86769.41	132406.72	98112.12
10	बकाया ऋण	69294.77	61479.29	64157.08	93711.47
11	एन0पी0ए0 एवं ऋण का प्रतिशत	33.22%	37.17%	28.9 %	28.9 %

त्रिस्तरीय ढांचा % विहंगावलोकन

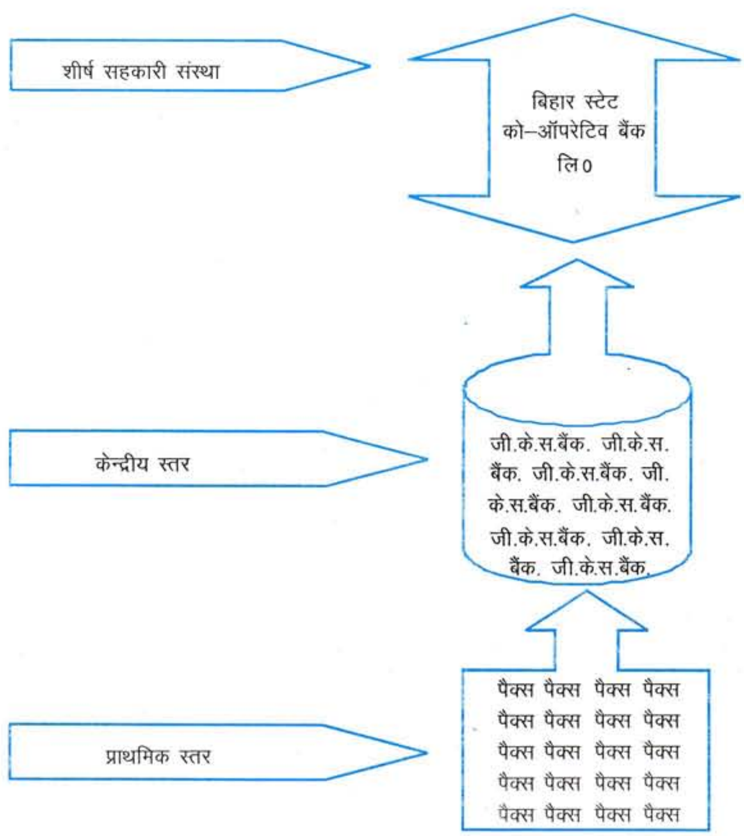

2. प्रो0 वैद्यनाथन कमिटि की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरोद्धार योजना

राज्य के अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रो0 ए0 वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कमिटी की अनुशंसाओं पर आधारित पुनरूद्धार पैकेज के तहत अल्पकालीन कृषि साख संस्थाओं यथा पैक्स, केन्द्रीय सहकारी बैंक के संचित हानि को समाप्त करते हुए इन संस्थाओं को सुदृढ़ एवं जीवंत बनाना है। इस पैकेज के तहत प्रथम चरण में राज्य के कुल 8463 पैक्सों में से कुल 7836 पैक्सो के लिए कुल 425.63 करोड़ रू0 की पुनसद्धार पैकेज की स्वीकृति एस0 एल0 आई0 सी0 द्वारा दी गई है। जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सम्बन्धित पैक्सों का हिस्सा क्रमशः 308.87, 27.44 एवं 89.32 करोड़ रू0 है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण राशि 27.44 करोड़ रू0 की राशि विमुक्त कर दी गयी है तथा भारत सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि 308.87 करोड़ रू0 में से 265.06 करोड़ रू0 की राशि भी विमुक्त कर दी गयी है।

द्वितीय चरण में राज्य के 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 20 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के लिये एस0 एल0 आई0 सी0 द्वारा 385.84 करोड़ रू0 की राशि स्वीकृत की गयी है। जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंकों का हिस्सा क्रमशः 300.96, 15.47 एवं 69.41 करोड़ रू0 है। राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण राशि 15.47 करोड़ रू0 विमुक्त कर दिया गया है।

क. पुनरोद्धार पैकेज के अन्तर्गत पैक्सों को वित्तीय सहायता

(रूपये करोड़ में)

क्रियाकलाप	कुल पैक्सों की संख्या	आच्छादित पैक्स	कुल पुनरोद्धार पैकेज				अभ्युक्ति
			भारत सरकार का हिस्सा	बिहार सरकार का हिस्सा	पैक्स का हिस्सा	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुमोदित	6059 (पुर्नगठित पैक्स 8463)	5435 (7836)	308.87	27.44	89.32	425.63	
विमुक्त हिस्सा			265.06	27.44		292.50	
अवशेष			43.81		89.32	133.13	

ख. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता

(रूपये करोड़ में)

कियाकलाप	कुल जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या	वित्तपोषित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या	कुल पुनरोद्धार पैकेज				अभ्युक्ति
			भारत सरकार का हिस्सा	बिहार सरकार का हिस्सा	केन्द्रीय सहकारी बैंक का हिस्सा	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुमोदित	22	20	300.96	15.47	69.41	385.84	
विमुक्त हिस्सा				15.47		15.47	
अवशेष			300.96		69.41	370.37	

ग. कुल पुनरोद्धार पैकेज

(रूपये करोड़ में)

कियाकलाप	कुल पुनरोद्धार पैकेज			कुल
	भारत सरकार का हिस्सा	बिहार सरकार का हिस्सा	समितियों का हिस्सा	
1	2	3	4	5
अनुमोदित	609.83	42.91	158.73	811.47
विमुक्त हिस्सा	265.06	42.91		307.97
अवशेष	344.77		158.73	503.50

*****

III. योजनायें एवं उपलब्धियाँ

1. समेकित सहकारी विकास परियोजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहकारिता के माध्यम से विकसित करने के उद्देश्य से यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से राज्य के सात (07) जिलों यथा गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, आरा, गया, छपरा एवं सिवान में कार्यान्वित की जा रही थी। इनमें से चार जिलों में इस परियोजना की अवधि समाप्त हो गया है । इन जिलों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य के औरंगाबाद सहित सभी शेष जिलों में इस परियोजना को चलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वर्ष 2009–10 में राज्य के कैमूर, खगड़ियॉ एवं शिवहर जिला में योजना स्वीकृत हो गया है तथा कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2010–11 में प्रथम चरण की स्वीकृत राशि की निगरानी कि जा चुका है। वर्ष 2010–11 में वैशाली एवं नालन्दा जिला में यह परियोजना एन0सी0डी0सी0 द्वारा क्रमशः 4256.75 लाख एवं 3321.22 लाख रू0 की लागत से कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गयी है। इस परियोजना के तहत् राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण प्राप्त कर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों (पैक्सों) को ऋण, हिस्सा पूँजी एवं अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

इस परियोजना के उद्देश्यों में कृषि कार्यों के विकास के लिये पैक्सों को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों यथा मत्स्य–पालन, दुग्ध विकास कार्यक्रम, मुर्गी–पालन, मधुमक्खी–पालन के विकास, महिलाओं के लिये कार्यक्रम, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना तथा समितियों के माध्यम से कुटीर उद्योगों के विकास तथा पणन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यों के लिये आधारभूत संरचना के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के साथ–साथ समितियों में व्यवसाय विकास के लिये मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

इस परियोजना में मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। समितियों के प्रबन्धकों, निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबन्धकीय विकास, वित्तीय प्रबन्धन एवं व्यवसाय विकास में प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान हो, जिसका प्रतिफल समिति के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में मिले।

परियोजनान्तर्गत लागत एवं व्यय, गोदाम निर्माण, व्यवसाय एवं प्रशिक्षण की समेकित प्रगति का विवरण निम्नवत है :–

परियोजना लागत एवं व्यय

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	जिला का नाम	ऋण	हिस्सा पूँजी	अनुदान	कुल योग	कुल व्यय (31/03/10 तक)	कुल व्यय 2010–11 (दिसम्बर 10 तक)	कुल व्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	गोपालगंज	295.62	631.62	292.00	1219.24	1153.91	-	1153.91
2.	मधुबनी	287.65	704.47	212.80	1204.92	1159.42	3.32	1162.74
3.	गया	313.34	607.68	215.39.	1136.41	1059.18	-	1059.18
4.	सीतामढ़ी	299.15	517.70	218.63	1035.48	1007.04	4.30	1011.34
5.	आरा	304.68	645.95	162.60	1113.23	1001.88	50.87	1052.75
6.	छपरा	280.60	673.50	205.62	1159.72	794.65	84.58	879.23
7.	सिवान	296.57	683.08	164.57	1144.22	995.82	50.08	1045.90
	कुल योग	**2077.61**	**4464.00**	**1471.61**	**8013.22**	**7171.90**	**193.15**	**7365.05**

गोदाम निर्माण

क्रमांक	जिला का नाम	पैक्स का गोदाम निर्माण		व्यापारमण्डल का गोदाम निर्माण	
		गोदाम निर्माण का लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि (31/12/10 तक)	गोदाम निर्माण का लक्ष्य	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि (31.12.10तक)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	गोपालगंज	130	130	09	9
2.	मधुबनी	105	105	12	12
3.	गया	118	114	12	9
4.	सीतामढ़ी	100	91	12	10
5.	आरा	105	100	16	14
6.	छपरा	104	85	14	8
7.	सिवान	100	84	15	8
	कुल योग	**762**	**709**	**90**	**70**

व्यवसाय विकास

(राशि लाख रुपये में)

कम	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष **2009-10**	वर्ष 2010–11 (दिसम्बर 10 तक)
1.	कृषि (खाद एवं बीज व्यवसाय)	1568.65	1027.46
2.	बंधक व्यवसाय	36.18	0.45
3.	सीधी खरीद	656.61	515.33
4.	उपभोक्ता व्यवसाय	433.22	330.92
5.	जमा वृद्धि	2210.87	1301.09
6.	उपभोक्ता ऋण	492.92	362.12
7.	अन्य	393.93	140.63
	कुल व्यवसाय	**5792.38**	**3678.00**

प्रशिक्षण कार्य

कम	प्रशिक्षण	वर्ष 2010–11 (दिसम्बर 10 तक)
1	2	3
1.	प्रबन्धक	599
2.	अध्यक्ष	521
3.	कार्यकारिणी सदस्य	16393
4.	सामान्य सदस्य	116680
5.	सेल्समैन/गोदामपाल	445
	कुल	**134638**

समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार, पटना
विगत् दो वर्षों की उपलब्धियाँ

बिहार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संस्थागत विकास के आयाम में सहकारी समितियों (पैक्सों) के माध्यम से विकसित करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के सहयोग से राज्य में समेकित सहकारी विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। जिलों में किये जा रहे परियोजना कार्यो का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के अधीन गठित राज्य अनुश्रवण कोषांग, समेकित सहकारी विकास परियोजना, पटना द्वारा किया जाता है। अभी तक राज्य के सात (07) जिलों का चयन परियोजना अंतर्गत किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नवत हैं :–

(राशि लाख रु॰ में)

क्रम	जिला	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत राशि	अभ्युक्ति
01.	गोपालगंज	2001-06	1139.12	विस्तारित अवधि के उपरांत 30.06.2009 को परियोजना समाप्त हो गया।
02.	मधुबनी	2001-06	1204.92	विस्तारित अवधि के उपरांत 30.04.2010 को परियोजना समाप्त हो गया।
03.	गया	2003-08	1136.41	विस्तारित अवधि के उपरांत 31.03.2010 को परियोजना समाप्त हो गया।
04.	सीतामढ़ी	2003-08	995.48	विस्तारित अवधि के उपरांत 30.09.2010 को परियोजना समाप्त हो गया।
05.	आरा	2004-09	1113.23	विस्तारित अवधि के उपरांत 31.03.2011 को समाप्त होने वाली है।
06.	छपरा	2004-09	1112.52	विस्तारित अवधि के उपरांत 31.03.2011 को समाप्त होने वाली है।
07.	सीवान	2004-09	1144.22	विस्तारित अवधि के उपरांत 31.03.2011 को समाप्त होने वाली है।
08.	राज्य अनुश्रवण कोषांग		167.32	
	कुल योग :		**8013.22**	

समेकित सहकारी विकास परियोजना ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अत्यंत ही सराहनीय कार्य कर रही है तथा कृषि ऋण, कृषि उपादान, अधिप्राप्ति, विपणन, जमा वृद्धि योजना, एग्री क्लिनीक तथा वर्मी कम्पोस्ट योजना आदि के माध्यम से ग्राम्य अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती बल्कि स्वावलंबन को भी बढ़ावा दे रही है।

परियोजना अंतर्गत विगत् दो वर्षो में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गयी है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

- कुल परियोजना लागत राशि 8013.22 लाख के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2010–11 तक कुल 7926.83 लाख रूपये प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध कुल 7365.05 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं, जिसमें से वर्ष 2009–10 में 546.88 लाख एवं वर्ष 2010–11 के माह दिसम्बर, 10 तक कुल 193.15 लाख रूपये व्यय किया गया, जो कुल प्राप्त राशि का 93.34% है।
- परियोजना के तहत् पैक्सों में 100 मेट्रिक टन एवं व्यापार मण्डलों में 200/250 मेट्रिक टन क्षमता के कुल 852 गोदामों के निर्माण की योजना के विरुद्ध कुल 779 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें वर्ष 2009–10 में 30 गोदाम एवं वर्ष 2010–11 के माह दिसम्बर, 10 तक में 16 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है एवं 63 अन्य गोदाम विभिन्न स्तरों पर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ है।

- परियोजनान्तर्गत चयनित समितियों में वर्ष 2009–10 में 5792.38 लाख एवं वर्ष 2010–11 के माह दिसम्बर 2010 तक समितियों द्वारा कुल 3678.00 लाख रुपये का व्यवसाय कार्य किया गया।
- परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में कुल 16074 सदस्यों एवं वर्ष 2010–11 के माह दिसम्बर 10 तक कुल 5367 सदस्यों (प्रबंधक / अध्यक्ष / प्रबंधकारिणी सदस्य / सामान्य सदस्य / अन्य) को प्रशिक्षित किया गया।
- परियोजना अंतर्गत समितियों को दिये गये ऋण के विरुद्ध वर्ष 2009–10 में कुल 52,52,032.00 एवं वर्ष 2010–11 के माह दिसम्बर, 10 तक कुल 11,83,262.00 रुपये वसूल किये गये।
- वर्ष 2009–10 में कैमूर, खगड़िया एवं शिवहर जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना कार्यान्वित करने हेतु क्रमशः 1128.60, 1591.85 एवं 1185.35 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2010–11 में तीनों जिलों में परियोजना प्रारंभ करने हेतु प्रथम चरण हेतु स्वीकृत राशि की निकासी की जा चुकी है।
- वर्ष 2010–11 में वैशाली एवं नालंदा जिलों में समेकित सहकारी विकास परियोजना कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से क्रमशः 4256.75 लाख एवं 3321.22 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है एवं राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
- वर्ष 2010–11 में लखीसराय, दरभंगा, बेगुसराय, पूर्णिया, जमुई, बेतिया एवं अरवल जिलों में परियोजना लागू करने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की स्वीकृति एन॰सी॰डी॰सी॰ से प्राप्त हुई है।
- वर्ष 2010–11 में पटना, नवादा, कटिहार, सहरसा, सुपौल, बांका एवं भागलपुर में परियोजना लागू करने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
- लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परियोजना अंतर्गत 24 कम्पोजिट यूनिट की स्थापना की गयी है, इन यूनिटों में एक साथ आटा चक्की, तेल मिल, चावल मिल स्थापित हैं।
- मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर व्यापार मंडल में बायोमास गैसीफायर के साथ मखाना प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना।
- 42 बुनकर समितियों को 447 फ्रेम लूम, पावर लूम, जैकार्ड लूम, पैडल लूम आदि के साथ कैलेंडरिंग ईकाई, विभिंग, कम्प्यूटर एवं मार्जिन मनी उपलब्ध कराये गये।
- सीवान जिलान्तर्गत जमालहाता बुनकर सहयोग समिति में गैसीफायर की स्थापना।
- 26 महिला सहयोग समितियों को मधुबनी पेंटिंग, चिप्स निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, पत्तल निर्माण, मसाला निर्माण, सिलाई, बुनाई आदि कार्यो हेतु 42.15 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये।
- परियोजना के तहत् 18 पैक्सों में चावल मिल की स्थापना की गई है, जिसमें से 7 पैक्सों एवं 2 व्यापार मंडलों में बायोमास गैसीफायर के साथ चावल मिल स्थापित किया गया।
- 2 व्यापार मंडलों में गैसीफायर के साथ आधुनिक लघु चावल मिल की स्थापना।
- परियोजना अन्तर्गत आच्छादित 17 पैक्सों में एग्री क्लीनिक की स्थापना।
- 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य के शेष सभी जिलों को परियोजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना(NAIS)

प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़ एवं तुषारापात से फसलों को मारे जाने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान कर अगली फसल लगाने के निमित्त कृषकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2000 से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इस राज्य में भी लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत कृषकों द्वारा उपजायी जाने वाली फसलों के प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट होने के फलस्वरूप बीमित राशि के लिये क्षतिपूर्त्ति का भुगतान किया जाता है।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- वाणिज्यिक, ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों से अल्पकालीन कृषि ऋण लेने वाले सभी कृषकों के लिए यह योजना अनिवार्य थी। रबी 2010–11 में केवल गैर ऋणी कृषकों को ही बीमित किये जाने की व्यवस्था है। किन्तु गैर–ऋणी कृषकों के लिये स्वैच्छिक भागीदारी की व्यवस्था है।
- सामान्यतः दलहन, तेलहन, नगदी फसल सहित सभी प्रकार के फसलों का बीमा
- कृषकों के समक्ष बीमित राशि (SUM INSURED) के लिए निम्न तीन विकल्प :–
  - (i) पूर्ण ऋण राशि का बीमा अनिवार्य है।
  - (ii) कृषक निर्धारित उपज के मूल्य तक बीमा करा सकते है।
  - (iii) कृषक औसत उपज के 150 प्रतिशत तक की राशि का बीमा करा सकते हैं।
- वर्ष 2010–11 में भी राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को प्रीमियम की राशि में 10 प्रतिशत का अनुदान
- अनुदान की राशि का भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन
- फसलों की क्षति का आकलन फसल कटनी के प्रयोग के परिणामों पर
- मुख्य फसल जैसे धान, गेहूँ हेतु अंचल एवं शेष फसलों के लिए जिला आकलन की इकाई
- क्षतिपूर्त्ति की राशि का भी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में वहन
- बीमा योजना की कार्यान्वयन एजेंसी एग्रीकल्चर इंस्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि॰, पटना है।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS)

इसके अतिरिक्त राज्य में प्रथम वर्ष 2007–08 से मौसम आधारित फसल बीमा लागू है। रबी 2010--11 मौसम में ऋणी कृषकों हेतु राज्य के 35 जिले बीमा हेतु चयनित है। पायलट आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। रब्बी 2010–11 मौसम में गेहूँ, चना, आलु, अरहर, प्याज एवं मसूर फसल के लिए राज्य के 35 जिलों को बीमा हेतु आच्छादित करते हुए संकल्प निर्गत किया गया है। इस योजना में क्षतिपूर्ति की कुल राशि बीमा कम्पनी को ही वहन करना है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत् तापमान में परिवर्तन, असामयिक वर्षा एवं पाला आदि कारणों से फसल की क्षति होने पर क्षति आकलन का प्रावधान है। इस योजना में वित्तीय मद के मामले में राज्य एवं केन्द्र सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक ही सीमित है। कृषकों को रा.कृ.वी. योजना के अनुसार ही प्रीमियम राशि जमा करना है।

मोडिफायड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MMAIS)

यह योजना रबी 2010–11 मौसम से राज्य में लागू किया गया है। योजना के तहत मुंगेर, जमुई एवं शिवहर जिला को चयनित करते हुए विभागीय अधिसूचना निर्गत की गई है। इस योजना के तहत वित्तीय भार के मामले में राज्य सरकार का दायित्व मात्र प्रीमियम अनुदान तक सीमित है। क्षतिपूर्त्ति की राशि बीमा कंपनी को वहन करना है। प्रीमियम अनुदान की राशि में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 50:50 के अनुपात में है। योजना की कार्यान्वयन एजेंसी एग्रीकल्चर इन्शोयरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि0, पटना है।

बिहार राज्य में फसल बीमा की प्रगति

(राशि लाख में)

मौसम	वर्ष	कुल बीमित कृषकों की संख्या	कुल बीमित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	क्षतिपूर्त्ति की राशि
खरीफ	2006	344686	59133.08	75880	4017.44
	2007	641651	116293.45	331954	40991.26
	2008	337638	72693.29	66814	6110.26
	2009	696355	162574.92	379864	46658.17
	2010	880058	203346.00 (औपबन्धिक) क्षति का आकलन मार्च, 2011 के बाद होगा		
रब्बी	2005-06	187961	28439.99	102929	5303.94
	2006-07	339749	59439.59	65927	3410.43
	2007-08	271171	56884.58	42668	4683.00
	2008-09	358549	85072.81	157455	18935.00
	2009-10	357062	105026.86	क्षति का आकलन प्रक्रियाधीन	

मौसम आधारित फसल बीमा की प्रगति

(राशि करोड़ में)

मौसम	वर्ष	कुल बीमित कृषकों की संख्या	कुल बीमित राशि	लाभान्वित कृषकों की संख्या	क्षतिपूर्त्ति की राशि
रब्बी	2007-08	16158	27.73	10510	1.70
	2008-09	138443	324.32	97011	21.65
	2009-10	468514	1098.56	329405	67.99
खरीफ	2008	78110	173.30	37435	4.87
	2009	653323	870.00	309908	51.96
	2010	408823	939.96	आकलन प्रक्रियाधीन	

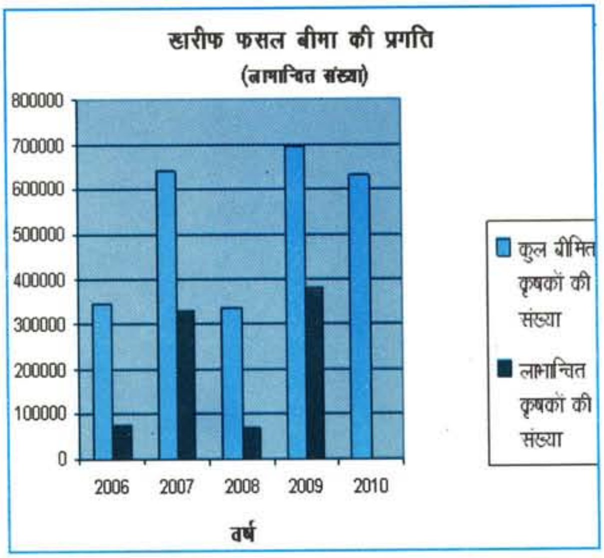

खरीफ फसल बीमा की प्रगति
(लाभान्वित संख्या)
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2006
2007
2008
2009
2010
वर्ष
कुल बीमित कृषकों की संख्या
लाभान्वित कृषकों की संख्या

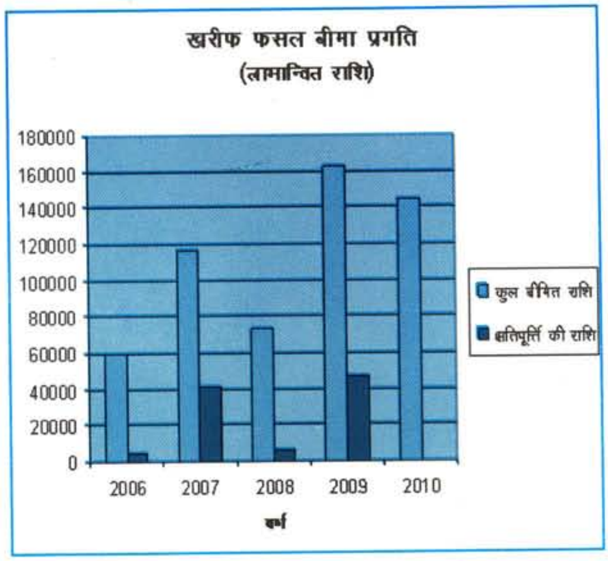

खरीफ फसल बीमा प्रगति
(लाभान्वित राशि)
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2006
2007
2008
2009
2010
वर्ष
कुल बीमित राशि
क्षतिपूर्ति की राशि

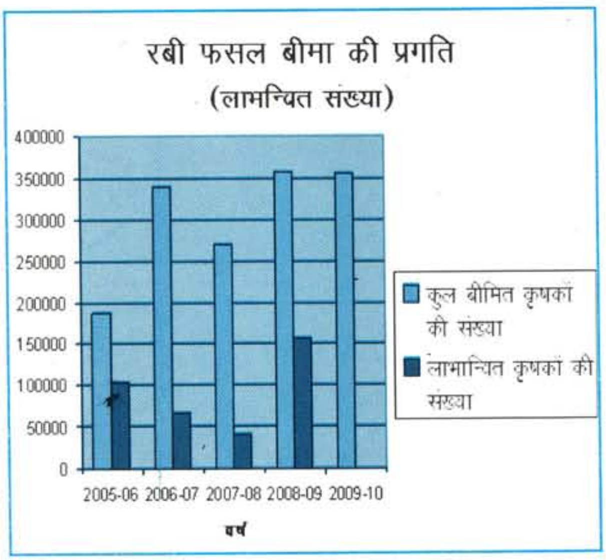

रबी फसल बीमा की प्रगति
(लाभन्वित संख्या)
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
वर्ष
कुल बीमित कृषकों की संख्या
लाभान्वित कृषकों की संख्या

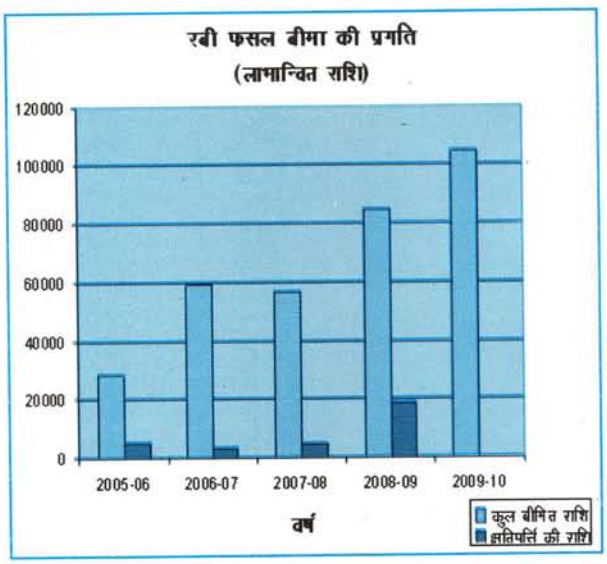

रबी फसल बीमा की प्रगति
(लाभान्वित राशि)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
वर्ष
कुल बीमित राशि
क्षतिपूर्ति की राशि

*****

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 29.05.2007 की बैठक के निर्णय के आलोक में वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत् सहकारिता प्रक्षेत्र अन्तर्गत कृषि उत्पाद संचयन अभिवृद्धि के निमित्त राज्य में गोदामों के निर्माण का प्रस्ताव है। इस योजना से राज्य के खाद्यान, उर्वरक एवं अन्य कृषि उत्पाद हेतु वैज्ञानिक भंडारण क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी जिससे राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अपने कृषि उत्पाद के वैज्ञानिक भंडारण का लाभ मिल सकेगा। गोदाम का निर्माण बिहार राज्य भंडार निगम के माध्यम से किया जा रहा है।

इस योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2007–08 में रुपये 1929.30 लाख भंडार निर्माण हेतु बिहार राज्य भंडार निगम को उपलब्ध करा दिया गया है। बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा समस्तीपुर, फतुहाँ एवं छपरा में 5,000 मेट्रिक टन के दो–दो गोदाम एवं मोतिहारी तथा मोहनियाँ में 5,000 मेट्रिक टन के एक–एक गोदाम कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण में बनाये जा रहे हैं। वर्ष 2008–09 में पाँच–पाँच हजार मेट्रिक टन के दो अतिरिक्त गोदाम 374.00 लाख रूपये की लागत से निर्माण की प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2008–09 में राज्य के 40 पैक्सों में बायोमास गैसीफायर के साथ 40 मिनी राईस के निर्माण हेतु 480.00 लाख रूपये उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 8 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल हेतु 104.00 लाख रुपये तथा 20 पैक्स में गोदाम निर्माण हेतु 66.00 लाख रू0 प्राप्त था तथा 20 व्यापार मंडल में गोदाम निर्माण हेतु 80.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2010–11 में 50 व्यापार मंडल में गैसीफायर के साथ चावल मिल हेतु 700.00 लाख रू0 की लागत से स्थापित करने हेतु व्यापार मंडल का चयन कर लिया गया है तथा 100 पैक्सों में 400.00 लाख रू0 की लागत से गोदाम निर्माण हेतु पैक्सों का चयन किया गया है। बिस्कोमान के द्वारा 98 गोदाम मरम्मती हेतु 149.00 लाख रू0 प्रस्तावित है। सभी पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् कृषि विभाग, बिहार से प्राप्त रारशि के व्यय का वर्षवार ब्योरा

वर्ष	योजना का नाम		इकाई की संख्या	प्राप्त राशि (लाख रु. में)	राशि की अद्यतन स्थिति/अभ्युक्ति
1	2		3	4	5
2008-09	1.	चावल मिल (गैसीफायर सहित)	40 पैक्स	480.00	पूर्ण राशि चावल मिल लगाने हेतु चयनित पैक्सों को हस्तान्तरित कर दी गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है (प्रगति प्रतिवेदन संलग्न)।
कुल राशि				480.00	
2009-10	1.	चावल मिल (गैसीफायर सहित)	08 पैक्स/व्यापार मण्डल	104.00	यह राशि पुनः वर्ष 2010-11 के लिए प्राप्त है। सरकार प्रभाग से आदेश अपेक्षित है।
	2.	गोदाम निर्माण	20 पैक्स 20 व्यापार मण्डल	66.00 80.00	
कुल राशि				250.00	
2010-11	1.	चावल मिल (गैसीफायर सहित)	50 पैक्स/व्यापार मण्डल	700.00	50 पैक्सों का चयन किया जा चुका है ।
	2.	गोदाम निर्माण	100 पैक्स/व्यापार मण्डल	400.00	100 पैक्सों का चयन किया जा चुका है ।
	3.	बिस्कोमान गोदाम मरम्मति	98 गोदाम	149.00	बिस्कोमान से प्रस्ताव प्राप्त

*****

4. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना 2010–11 के लिए राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत कुल 28695.12 लाख रुपये का उपबन्ध स्वीकृत था, जिसके विरुद्ध जनवरी 2011 तक 20868.89 लाख रूपये का व्यय किया गया।

वर्ष 2010–11 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :–

(राशि लाख रु॰ में)

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	उपबन्ध की राशि			
		राज्य योजना उद्व्यय	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	व्यय की गई राशि
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत क्षतिपूर्ति अनुदान				
	i) प्रीमियम अनुदान	150.00	-	150.00	150.00
	ii) क्षतिपूर्त्ति अनुदान	12000.00	-	12000.00	12000.00
2	पॉयलेट प्रोजेक्ट अंतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु प्रीमियम अनुदान	7000.00	-	7000.00	6854.95
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1496.19	-	1496.19	-
4	एन॰सी॰डी॰सी॰ संपोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना	466.79	4161.14	4627.93	725.79
5	सहकारी प्रशिक्षण संस्थान को नवीकरण/ मरम्मती	50.00	-	50.00	-
6	विभागीय पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के प्रशिक्षण	5.00	-	5.00	0.32
7	विभागीय कार्यों हेतु प्रचार–प्रसार	20.00	-	20.00	1.40
8	गोदामों के नवीकरण/ निर्माण हेतु सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	1.00	-	1.00	-
9	वैद्यनाथन कमिटि के आलोक में साख संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान	3345.00	-	3345.00	1136.43
	कुल	**24533.98**	**4161.14**	**28695.12**	**20868.89**

*****

IV. प्रमुख कार्यक्रम

1. अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य के कृषकों से धान, चावल, गेहूँ एवं जूट का क्रय कर सहकारी समितियाँ भारतीय खाद्य निगम/भारतीय जूट निगम को आपूर्त्ति करती है। खरीफ 2010 में अभी तक 3.00 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है वहीं रब्बी 2010–11 में 90000 मेट्रिक टन गेहूँ की अधिप्राप्ति की गई थी। अधिप्राप्ति योजना अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं 50/– रुपया प्रति क्विंटल बोनस की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी 50/– प्रति क्विंटल बोनस की राशि का भी वहन किया जा रहा है तथा गेहूँ की अधिप्राप्ति पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 25/– रुपये की दर से बोनस का भुगतान किया जा रहा है। खरीफ 2010 मौसम में कृषकों के खलिहान से ही धान का क्रय किया जा रहा है।

पैक्सों द्वारा अधिप्राप्ति व्यवसाय :–

किसानों के फसल को सुगमता पूर्वक ग्राम स्तर पर ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान/चावल अधिप्राप्ति हेतु पैक्स एक स्थानीय माध्यम का काम करते हैं। पैक्सों की शीर्ष विपणन संस्था बिस्कोमान, जिसे राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्ति के लिए नोडल एजेन्सी बनाया गया है, क माध्यम से पैक्सों के लिए लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2010–11 में बिस्कोमान/पैक्स द्वारा समेकित रूप से निर्धारित लक्ष्य 5.0 लाख मेट्रिक टन के विरूद्ध 3.00 लाख मेट्रिक टन अधिप्राप्ति हो चुकी है। पैक्सों/बिस्कोमान केन्द्रों द्वारा 60:40 के अनुपात में अधिप्राप्त किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित है। इस प्रकार ग्राम स्तर पर किसानों को उनके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने में पैक्स अपनी भूमिका का निवर्हन कर रहें हैं।

विगत आठ वर्षो में सहकारी समितियों द्वारा धान, चावल, गेहूँ एवं जूट की अधिप्राप्ति निम्न मात्रा में की गई :–

(मात्रा मे॰ टन में)

वर्ष	धान	चावल	गेहूँ	जूट
2003-04	164302.00	253167.00	37747.00	8428.50
2004-05	72000.00	294577.00	7096.00	1201.80
2005-06	580115.95	-	-	29.00
2006-07	517049.68	-	-	-
2007-08	527227.00	-	-	-
2008-09	637293.00	-	267014.00	-
2009-10	656000.00	-	91525.00	-
2010-11	300000.00	-	90000.00	-

*****

2. बिस्कोमान द्वारा अधिप्राप्ति

सहकारी क्षेत्र में अधिप्राप्ति व्यवसाय के लिए बिस्कोमान को राज्य का नोडल एजेन्सी बनाया गया है। एतदर्थ बिस्कोमान को 5.0 लाख मेट्रिक टन अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है। बिस्कोमान को अधिप्राप्ति कार्य में पैक्सों द्वारा अधिप्राप्त धान/चावल का उठाव करवाकर, उन्हें भारतीय खाद्य निगम तक पहँचाने का दायित्व भी सौंपा गया है। बिस्कोमान और पैक्सों के बीच अधिप्राप्ति लक्ष्य का 40:60 के अनुपात में धान/चावल क्रय करना है।

बिस्कोमान सहकारिता विभाग द्वारा संचालित पैक्सों के माध्यम से "खलिहान में अधिप्राप्ति" कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इस प्रकार एक ओर जहॉ पैक्सों में अधिप्राप्ति व्यवसाय हो रहा है, दूसरी ओर प्रदेश के किसानों को दरवाजे पर सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम समर्थन मूल्य" सुलभ हो रहा है। प्रदेश के किसानों का खुशहाल बनाने की दिशा में बिस्कोमान द्वारा संचालित एक महत्व का कार्य है।

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्तमान खरीफ मौसम 2010–11 में पैक्सों एवं बिस्कोमान द्वारा कुल 3.00 लाख मेट्रिक टन धान एवं रब्बी विपणन मौसम 2010–11 में पैक्सों बिस्कोमान द्वारा कुल 90000 मेट्रिक टन गेहूँ की अधिप्राप्ति की गयी है।

खलिहान में अधिप्राप्ति कार्यक्रम के दौरान प्रेस से मुखातिब श्री रामाधार सिंह, मान्नीय मंत्री सहकारिता, बिहार सरकार

*****

3. पैक्स द्वारा खाद–व्यवसाय

प्राथमिक कृषि साख समितियों को ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राम स्तर पर ही किसानों को उच्च गुणवत्ता के उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज उपलब्ध हो।

सम्प्रति 8463 पैक्सों में से 584 पैक्सों को विशेष अभियान चलाकर खाद व्यवसाय हेतु लाईसेन्स उपलब्ध कराया गया है। 5843 लाइसेन्स प्राप्त पैक्सों में से 3833 पैक्सों द्वारा इफ्को से जुड़कर खाद व्यवसाय किया जा रहा है। शेष पैक्स भी अन्य वैकल्पिक संशाधनों द्वारा खाद़ व्यवसाय कर रहें हैं। वर्ष 2010–11 में 5843 पैक्सों द्वारा दिसम्बर, 2010 तक 227770.92 मेट्रिक टन खाद का उठावा किये हैं। पैक्सों द्वारा 10851.33 लाख रूपये का खाद व्यवसाय किया गया है।

4. पैक्सों में गैसीफायर/चावल मिल की स्थापना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत सहकारिता प्रक्षेत्र में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए गैसीफायर एवं चावल मिल स्थापित किया जा रहा है। एतदर्थ वित्तीय वर्ष 2008–09 में 40 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल लगाने के लिए 12.00 लाख रु0 प्रति पैक्स की दर से 480.00 लाख रूपये उपलब्ध कराया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 8 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल हेतु 104.00 लाख रूपये तथा 2010–11 में 50 पैक्सों में गैसीफायर के साथ चावल मिल लगाने के लिए पैक्सो का चयन कर लिया गया है। रूपये 700.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तगर्त
पैक्सों में गैसीफायर/चावल मिल स्थापन की स्थिति

वर्ष	पैक्सो की सं0	कुल राशि (रूपये लाख में)	अभ्युक्ति
2008–09	40	480.00	निर्माण कार्य प्रगति पर
2009–10	20	104.00	—
2010–11	100	700.00	पैक्सों का चयन कर लिया गया है।

5. पैक्सों में सदस्यता वृद्धि अभियान

2009–10 में अनु0 जाति/जन–जाति, अतिपिछड़ों, पिछड़ों एवं महिला वर्ग के नये 4505262 सदस्यों को पैक्सों से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उनकी एक हिस्सा–पूॅजी/सदस्यता–शुल्क मद में रू0 495.61 लाख रु0 का भुगतान किया गया है।

6. पैक्सों में भंडारण क्षमता की अभिवृद्धि

पैक्सों में भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। एतदर्थ समेकित सहकारी विकास परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के तहत पैक्सों में गोदाम निर्माण का क्रियान्वयन किया जा रहा ह। समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में

(दिसम्बर, 10 तक) 709 पैक्सों ममें 100 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम निर्माण कर 70900 मेट्रिक टन भंडार क्षमता सृजित की गई। वर्ष 2009–10 में 20 पैक्सों में गोदाम निर्माण हेतु 66.00 लाख तथा वर्ष 2010–11 में पैक्सों में 400.00 लाख रूपये की लागत से गोदाम–निर्माण हेतु 100 पैक्सों का चयन किया गया है।

7. पैक्सों में जमावृद्धि योजना

राज्य के लगभग 600 पैक्स द्वारा अपने सदस्यों से जमा एकत्रित कर निजी संसाधन से सदस्यों को वित्त पोषण किया जा रहा है। राज्य में 1.00 करोड़ रू0 से भी अधिक बचत जमा वाले पैक्सों की संख्या 25 है। 40.00 लाख रू0 से अधिक एवं 1.00 करोड़ रू0 से कम बचत जमा वाले पैक्सों की संख्या 44 एवं 10.00–40.00 लाख रू0 बचत जमा वाले पैक्सों की संख्या लगभग 200 है। पैक्सों में जमा राशि में आम लोगों का विश्वास बढ़ाने हेतु डिपोजिट गारण्टी योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत पैक्सों में जमा कराये गये 25000 रूपये तक की डिपोजिट गारंटी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है। इस योजना को सभी पैक्सों में लागू करने हेतु प्रयास जारी है।

8. व्यापारमंडलों का पुर्नगठन

विहित है कि सुशासन के कार्यक्रम के तहत सरकार सहकारी संस्थाओं में सांस्थनिक सुधार हेतु पंचायत स्तर पर पैक्सों में पूर्ण प्रजातांत्रिक पद्धति लागू कर आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पैक्सों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के केन्द्र के रूप में विकसित करने की पहल के बाद सम्प्रति प्रखंड स्तर पर गठित सहकारी पणन की केन्द्रीय सहकारी समितियों, जिन्हें व्यापारमंडल सहयोग समिति के नाम से जाना जाता है, में संस्थागत सुधार की कवायद तेज कर दी गई है। इस पहल के तहत प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल को पुर्नगठित किया जा रहा है। व्यापारमंडलों में पैक्स प्राथमिक सदस्य होते हैं। राज्य निर्वाचन प्राधिकार की देख–रेख में व्यापारमंडलों में जनतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना है।

नवसृजित प्रखंडों में भी व्यापारमंडल गठित कर लिया गया है, तथा जहॉ किसी कारण विशेष से 9 व्यापार मंडल का गठन नहीं किया जा सका है, वहॉ गठन की प्रक्रिया चल रही है। सम्प्रति राज्य के कुल 534 प्रखंडों में 519 प्रखंडों में व्यापारमंडल का पुर्नगठन अंतिम चरण में है। शेष 15 में भी गठन की प्रक्रिया चल रही है।

9. मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का पुनर्गठन

राज्य सरकार ने मत्स्यजीवी सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ करने हेतु एक दूरदर्शी कदम उठाया है। एतदर्थ प्रखंड में अवस्थित सभी मत्सयजीवी सहकारी समितियों, चाहें वे अधिनियम 1935 में गठित हो अथवा अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित हों, सबों को मिलाकर एक प्रखं डमें केवल एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन हेतु प्रकिया प्रारंभ कर दी गई हैं। ये सभी मत्स्यजीवी समितियॉ बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत गठित की जायेंगी। इस प्रकार मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के पुर्नगठन एवं तदुपरान्त राज्य में सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से मत्स्यपालन हेतु नये मील का पत्थर तय करने की रूप रेखा खींची जा रही है।

V. प्रमुख सहकारी संस्थान

1. बिहार राज्य सहकारी संघ लि0

बिहार को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना राज्य के सभी सहकारी समितियों की एक शीर्षस्थ संस्था है। बिहार के सभी शीर्ष संस्थायें, केन्द्रीय तथा प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियाँ इस फेडरेशन के सदस्य है। यह फेडरेशन वर्ष 1918 से ही सहकारिता क्षेत्र के विकास एवं प्रसार के लिए प्रयासरत रहा है।

उद्देश्य

फेडरेशन का उद्देश्य है सहकारिता आन्दोलन के प्रसार तथा विकास को तरहीज देना, सहकारी समितियों के कार्यों का समन्वय करना, सहकारी क्षेत्र के निर्माण तथा विस्तार के प्रयास में जनता को प्रशिक्षण देना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें सहायता करना तथा सहकारी विचारों का व्याख्याता होना। उद्देश्य की पूर्त्ति हेतु सहकारिता तथा उससे संबंधित विषयों के साहित्य की रचना करना, उनका प्रकाशन करना एवं दृश्य–श्रव्य प्रचार साधन का प्रबंध करना भी इसके उदे्श्यों में शामिल है। विचार गोष्ठियां आयोजित करना, सहकारिता सम्मलेन आयोजित करना, प्रदर्शनी लगाना तथा ऐसी अन्य आयोजन करना भी इसके उद्देश्यों में शामील है।

कार्यक्रम

फेडरेशन राज्य के प्रत्येक जिले में पदस्थापित कर्मचारियों के माध्यम से सहकारी समितियों के पदधारकों, सदस्यों तथा भावी सदस्यों के लिए पूर्व में क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाता रहा है। वर्ष 2010–11 के लिए अपने सीमित साधनों तथा सेवानिवृत्ति के कारण बहुत कम संख्या में कार्यरंत प्रशिक्षण पदाधिकारियों के बल पर प्राथमिक सदस्यों का कुल 48 प्रशिक्षण सत्र चलाकर 960 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम था। इसके अतिरिक्त दो राज्य स्तरीय सम्मेलन तथा तीन प्रमंडलीय सम्मेलन आयोजित करना, दो प्रदर्शनी का आयोजन करना और गांव पत्रिका का प्रकाशन पुनः आरंभ करने का कार्यक्रम था।

निधि की उपलब्धता

फेडरेशन की आय का जो मुख्य स्त्रोत है वह है फेडरेशन लेबी। इसके अतिरिक्त फेडरेशन हॉल, गेस्ट रूम आदि के आरक्षण से प्राप्त होने वाली राशि भी एक स्त्रोत बनाया गया है। राज्य सरकार से इसके विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पिछले कई वर्षों से आर्थिक सहायता नहीं मिल पायी है यद्यपि 1991–92 के पूर्व इसे काफी वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होती थी। जिससे कार्यक्रम के सम्पादन में काफी सहायता मिलती थी। फेडरेशन के आय का एक स्त्रोत इसका प्रिंटिंग प्रेस भी था जिसमें तीन ट्रैडल मशीन है किन्तु ऑफ्सेट प्रिंटिंग के आगे इस प्रेस को मुद्रण हेतु आदेश प्राप्त नहीं हो पाता है जिस कारण प्रेस प्रायः बन्द है और आय नाम मात्र का है।

कार्यकलाप एवं उपलब्धि

नीचे लिखे विगत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों से इसके कार्यकलाप एवं उपलब्धि को देखा जा सकता है :–

कमांक	कार्यकम	2007–08	2008–09	2009–10	
				लक्ष्य	उपलब्धि
1	सदस्य प्रशिक्षण क. प्रशिक्षण सत्रों की संख्या ख. प्रशिक्षितों की संख्या	79	72	48	45
2	राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन	1	1	2	1
3	क्षेत्रीय सम्मेलन	1	X	3	X
4	प्रदर्शनी	1	X	2	X
5	"गांव" पत्रिका का प्रकाशन	X	X	12	X

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में फेडरेशन लेबी की वसूली नगण्य है और आरक्षण शुल्क से प्राप्त राशि से दैनिक कार्य चलाये जा रहे है।

*****

2. बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ समिति (BISCOMAUN)

राज्य के कृषकों के फसलों के पणन तथा खेती के समय उन्हें वांछित खाद, बीज, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराने के लिए सहकारी क्षेत्र में बिहार राज्य सहयोग क्रय विक्रय संघ सीमित (बिस्कोमान) एक शीर्ष सहकारी पणन संस्थान के रूप में गठित है। राज्य के कृषि उत्पादन में व्यापार मण्डलों एवं पैक्सों के माध्यम से कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि उपलब्ध करवाना एवं कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के पणन, भंडारण एवं शीत भंडारण की व्यवस्था करना बिस्कोमान का मुख्य कार्य रहा है। परन्तु विगत कुछ वर्षों से अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यापारिक घाटे के कारण बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गयी है। बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है तथा इस संस्था द्वारा व्यवसाय विकास हेतु वर्त्तमान में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

सहकारी क्षेत्र के बिस्कोमान भवन के सत्रहवें मंजिल पर अवस्थित एशिया में अपने प्रकार का प्रथम घूमता हुआ रेस्तरां **(Revolving Restaurant)**

राज्य सरकार द्वारा बिस्कोमान के पुनर्जीवन पैकेज (Revival Package) हेतु रूपये 64.82 करोड़ की व्यवस्था की जा रही है।

वर्त्तमान में बिस्कोमान के पास बिहार के सभी जिले में लगभग 2.55 लाख मेट्रिके टन की भंडारण क्षमता सृजित है।

सहकारी क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में बिस्कोमान धान/चावल अधिप्राप्ति का कार्य कर रहा है। बिस्कोमान अपना क्रय केन्द्र खोलकर तथा पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य कर रहा है। खरीफ, 2010–11 में 5.00 लाख मेट्रिक टन अधिप्राप्ति लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक लगभग 1.88 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति कर चुका है। सम्प्रति बिस्कोमान द्वारा चलाई जा रही व्यवसायिक गतिविधियाँ निम्न प्रकार है :–

1. थोक खाद व्यवसाय की शुरूआत	–	10,000 मे0 टन
2. बीज एवं कृषि उपकरण व्यवसाय की शुरूआत	–	500 मे0 टन
3. धान/चावल/गेहूँ की अधिप्राप्ति	–	3.00 लाख मे0 टन
गेहूँ	–	90,000 मे0 टन

4. किसानों से मक्का, खैनी, मसाला, प्याज, चूड़ा, गुड़ एवं मखाना का खुले बाजार से खरीद एवं अन्तर्जिला व्यवसाय
5. हरी सब्जी/कोयला/सोलर लैम्प एवं किसान लैम्प की बिक्री

बिस्कोमान सहकारिता विभाग द्वारा संचालित पैक्सों के माध्यम से "खलिहान में अधिप्राप्ति" कार्यक्रम का

संचालन कर रही है। इस प्रकार एक ओर जहाँ पैक्सों में अधिप्राप्ति व्यवसाय हो रहा है, दूसरी ओर प्रदेश के किसानों को दरवाजे पर सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम समर्थन मूल्य" सुलभ हो रहा है। प्रदेश के किसानों का खुशहाल बनाने की दिशा में बिस्कोमान द्वारा संचालित एक महत्व का कार्य है।

बिस्कोमान टावर के सत्रहवीं मंजिल पर संचालित "घूमता रेस्तरां" पूरे एशिया में अपने प्रकार का अनूठा रेस्तरां है। यह भी सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धि को रेखांकित करता है।

बिस्कोमान द्वारा किसानों को खाद् आपूर्त्ति के क्षेत्र में भी पैक्सों के माध्यम से गांव में खाद सुलभ कराया जा रहा है। इससे सूबे के किसान लाभान्वित हो रहें हैं।

उपर्युक्त व्यवसायिक गतिविधियों के अतिरिक्त बिस्कोमान निम्न परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है :–

1. एक लाख टन गोदाम निर्माण की योजना
2. 92 पुराने गोदाम की मरम्मति की योजना
3. 7 कोल्ड स्टोरेज के पुनर्उद्धार की योजना
4. 5 नये राईस मिल की स्थापना एवं पुराने राईस मिल का पुर्नउद्धार

बिस्कोमान के व्यवसाय की विगत छः वर्षो की स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

क्रमांक	विवरणी	2005—06	2006—07	2007—08	2008—09	2009—10	2010—11
1.	धान/चावल/गेहूँ अधिप्राप्ति	6458.30	4620.80	15902.76	18195.35	22345.00	2147.81
2.	जूट अधिप्राप्ति	29.00	72.09	39.55	26.74	-	0.00
3.	बीज व्यवसाय	91.00	0.00	47.26	-	9.30	26.27
4.	खाद व्यवसाय	1337.59	1653.64	454.70	-	-	2.48
5.	किराया आदि से प्राप्त	300.33	297.31	212.40	385.31	243.94	258.58
6.	कोयला व्यवसाय	1394.83	27.35	149.35	-	-	28.61
	कुल योग	**9611.05**	**6671.19**	**16806.02**	**18607.40**	**22598.24**	**2463.75**

*****

3. बिहार राज्य भण्डार निगम

फतुहाँ में बिहार राज्य भण्डार निगम द्वारा निर्माणाधीन गोदाम

बिहार राज्य भण्डार निगम Central Warehousing Corporation Act, 1962 के तहत् गठित ग्रामीण एवं शहरी भण्डारण व्यवसाय से सम्बन्धित संस्था है। सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य भण्डार निगम को अधिसूचना संख्या 3240 दिनांक 12/12/1996 के द्वारा राज्य भण्डारण एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया गया है। निगम की अधिकृत हिस्सापूँजी में बिहार सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम का अंशदान 50–50 प्रतिशत है। निदेशक परिषद् में भी इसी अनुपात में राज्य सरकार एवं केन्द्रीय भंडार निगम के द्वारा निदेशक मनोनीत है।

निगम का मुख्य कार्य कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं अन्य संस्थाओं की सामग्रियों यथा खाद्यान्न, खाद आदि का भंडारण है। निगम की आय का मुख्य स्रोत अपने गोदामों से प्राप्त भंडारण शुल्क एवं परिवहन तथा हाथालन शुल्क है। निगम कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के भण्डारण के साथ–साथ कृषि उत्पादित वस्तुओं के भण्डारण हेतु कृषकों को प्रशिक्षित भी करती है। वर्ष 2005–06 तक निगम का अधिकृत हिस्सापूँजी 2.00 करोड़ रुपया था, जिसे वर्ष 2006–07 में खाद्य मंत्रालय भारत सरकार को अनुरोध कर 10.00 करोड़ उत्क्रमित कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य योजना से निगम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत् अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन हेतु क्रमशः 1929.30 एवं 374.00 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है। निगम द्वारा वर्ष 2009–10 में राज्य सरकार को लाभांश के रूप में 46.08 लाख रुपये भुगतान किया गया है। वर्तमान में बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा कुल भंडारण क्षमता का शत् प्रतिशत आभोग किया जा रहा है। निगम द्वारा प्रकृतिक आपदा से जुझने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 50.00 लाख रुपया दिया गया है। निगम द्वारा राज्य में कुल 36 स्थानों पर भंडारण केन्द्र चलाया जा रहा है तथा कृषकों को भंडारण में 30% की छूट दी जा रही है। निगम का वर्ष 2008–09 का वैधानिक अंकेक्षण भी समाप्ति पर है।

2010–11 में भंडार क्षमता निम्न प्रकार है :–

- स्वनिर्मित – 17.40 लाख मेट्रिक टन
- किराये का गोदाम – 12.72 लाख मेट्रिक टन
- कुल भंडारण क्षमता – 30.12 लाख मेट्रिक टन
- व्यापार उपभोग – 27.30 लाख मेट्रिक टन
- उपभोग का प्रतिशत – 90%

(अतिरिक्त 1.00 लाख एम0 टी0 भंडारण क्षमता सृजित)

भंडार निगम द्वारा पूरे प्रदेश में गोदामों एवं कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से किसानों के माल को संरक्षित रखने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का कुल गोदाम क्षमता 30.12 लाख मेट्रिक टन का है इसमें से 27.30 लाख मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम व्यापार उपभोग किया जा रहा है जो कुल क्षमता का 90 प्रतिशत है।

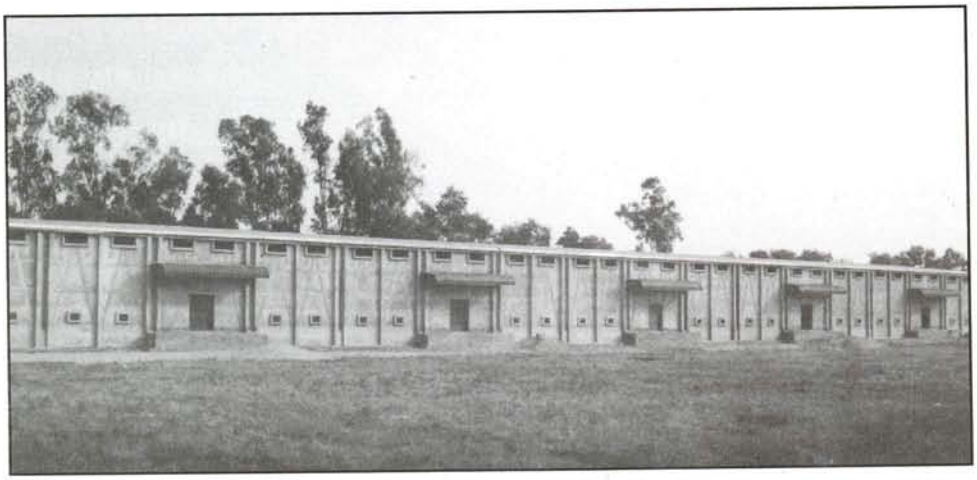

मोहनियाँ में बिहार राज्य भंडार निगम का निर्माणाधीन गोदाम

बिहार राज्य भण्डार निगम का विगत् पाँच वर्षों का वित्तीय कार्यकलाप का तुलनात्मक विवरणी निम्नांकित है :–

		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1.	अधिकृत हिस्सापूँजी (लाख रूपये में)	200.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
2. प्रदत्त हिस्सापूँजी (लाख रूपये में)						
	क॰ केन्द्रीय भण्डारण निगम	68.55	100.00	321.00	321.00	321.00
	ख॰ राज्य सरकार	68.55	321.00	321.00	321.00	321.00
	ग॰ कुल	137.10	421.00	642.00	642.00	642.00
3.	व्यवसाय से कुल आय (लाख रुपये में)	2732.03	2957.06	4220.95	4500.00	6510.00
4.	शुद्ध लाभ (लाख रूपये में)	34.33	211.94	113.52	537.00	651.25

*****

4. बिहार स्टेट हाऊसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰

ललित भवन

वर्ष 1969 में गठित सहकारिता क्षेत्र में शहरी जन–समुदाय को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य स्तरीय यह संघ सहकारी शीर्ष संस्थान के रूप में अपने संबंद्ध प्राथमिक गृह निर्माण सहयोग समितियों के सदस्यों एवं व्यक्तिगत सदस्यों को गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराती रही है। इस संस्था का निबंधन संख्या 3/1969 है। इस संस्था से बिहार एवं झारखण्ड राज्य के 1333 प्राथमिक गृह निर्माण सहयोग समितियाँ संबद्ध है, जिसमें से 697 समितियों को ऋण दिया गया है। वर्ष 2009–10 में सबसे बड़ी उपलब्धि यह हुई की भारतीय जीवन बीमा निगम से एकमुश्त समझौता कर मो॰ 6.75 करोड़ रुपये निगम को वापस कर फेडरेशन ऋण मुक्त हो गया है।

संस्था की वित्तीय स्थिति

(रुपये लाख में)

		2008–09	2009–10	2010–11
1.	अधिकृत हिस्सापूँजी	5000.00	5000.00	500.00
2.	कुल हिस्सापूँजी	864.77	864.77	842.53
3.	कुल हिस्सापूँजी में राज्य सरकार का अंशदान	668.02	668.02	668.02
4.	राज्य सरकार द्वारा हुडको को गारण्टी के विरूद्ध भुगतान की गई राशि	1671.04	शून्य	शून्य
5.	वित्तीय संस्थाओं को वापस की गयी ऋण की राशि सूद सहित			
	(क) भारतीय जीवन बीमा निगम	40.00	675.00	शून्य
	(ख) राज्य सरकार को गारण्टी के विरूद्ध भुगतान की गयी राशि	113.67	54.84	शून्य
6.	वित्तीय संस्थाओं का बकाया कुल राशि			
	(क) भारतीय जीवन बीमा निगम	675.00	शून्य	शून्य
	(ख) राज्य सरकार की गारण्टी के विरूद्ध भुगतान गयी राशि	1557.37	1502.48	1502.48
	(ग) अन्य ऋण सूद सहित	121.08	130.65	134.61
	कुल	**2353.45**	**1633.13**	**1636.49**

5. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार का गठन लगभग प्रत्येक अनुमण्डल में है। उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में निबंधित है। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की जर्जर वित्तीय स्थिति का कुप्रभाव स्पष्ट रूप से केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार के कार्यकलाप पर भी पड़ा है। अधिकांश केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार मृतप्राय हो गये हैं।

छः वर्षो के कार्यकलाप एवं वित्तीय स्थिति निम्नांकित सारिणी से स्पष्ट है।

(राशि लाख में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
1	2	3	4	5	6
2005-06	61	24457	95.41	158.10	253.49
2006-07	61	25400	109.55	234.92	243.72
2007-08	61	25400	109.55	235.36	248.72
2008-09	61	27420	148.33	217.66	147.51
2009-10	61	27445	148.34	215.48	140.41
2010-11	61	27505	148.36	216.01	133.38

6. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है, जिसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश सहकारी उपभोक्ता भण्डार लगभग निष्क्रिय हैं। कुछ सहकारी उपभोक्ता भण्डार जन–वितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

विगत छः वर्षों का कार्यकलाप एवं वित्तीय स्थिति

(राशि लाख रु॰ में)

वर्ष	समिति की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सा पूंजी	कार्यशील पूंजी	किये गये व्यवसाय की राशि
1	2	3	4	5	6
2005-06	1813	104291	41.28	140.05	1085.46
2006-07	1813	104403	41.39	140.05	1087.48
2007-08	1813	104512	41.42	141.12	1105.88
2008-09	1813	104617	41.57	141.37	1122.38
2009-10	1813	104632	41.57	139.72	1124.48
2010-11	1813	104692	41.58	139.75	1012.35

7. व्यापार मण्डल

व्यापार मण्डल सहयोग समितियाँ प्रखण्ड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में काम आने वाले सभी वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि का क्रय–विक्रय तथा कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का पणन है। व्यापार मण्डल राज्य स्तर पर गठित पणन शीर्ष समिति (बिस्कोमान) से सम्बद्ध है। बिस्कोमान की आर्थिक स्थिति जर्जर होने का कुप्रभाव व्यापार मण्डल पर भी पड़ा है। फलस्वरूप अधिकांश व्यापार मण्डलों की वित्तीय स्थिति जर्जर हो गयी है।

विगत छः वर्षों में व्यापार मण्डल की वित्तीय स्थिति

(राशि लाख में)

वर्ष	व्यापार मंडलों की संख्या	सदस्य संख्या	हिस्सापूँजी	कार्यशील पूँजी	कारोबार की राशि
2	3	4	5	6	7
2005-06	391	165490	896.59	1840.07	2223.54
2006-07	391	159318	895.97	1925.66	2017.82
2007-08	391	159418	896.04	1935.60	2045.72
2008-09	391	159960	897.08	2054.12	2125.40
2009-10	391	160130	897.31	2055.32	2132.18
2010-11	391	160135	897.32	2055.48	2082.18

8. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर सहकारिता विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में पैक्स अध्यक्ष, निदेशक, प्रबंधक/सचिव, व्यापारमंडल, बुनकर सहयोग समिति, महिला विकास समिति, मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्षों एवं निदेशकों को समय–समय पर Orientation प्रशिक्षण दिया जाता है। स्थापना के बाद संस्थान उपेक्षित पड़ा था। वर्ष 2007 में इसे पुर्नजीवित किया गया तथा फरवरी, 2007 से नवम्बर, 2010 तक 818 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। संस्थान द्वारा इस अवधि में समेकित सहकारी विकास परियोजना संबंधित तथा अन्य समीचीन पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यक्रम के विषय–वस्तु निम्नवत हैं:–

- आई0सी0डी0पी0 एक परिचय, इसकी योजनाएँ एवं उद्देश्य
- अध्यक्ष, निदेशकों एवं प्रबंधकों के अधिकार एवं कर्त्तव्य
- आमसभा एवं प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य
- व्यवसाय विकास योजना (बी0डीपी0) निर्माण विधि (अभयस सहित)
- पैक्सों का प्रबंधन
- संसाधन संग्रहण एवं निधि प्रबंधन
- (जमा वृद्धि व्यवसाय व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित)

- व्यावसायों का विविधिकरण, गैर कोष एवं गैर साख व्यवसाय के अवसर
- मधुमक्खी पालन क्यों और कैसे?(व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित)
- जैविक खाद (वर्मी कम्पोस्ट) (व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित)
- के0सी0सी0 एवं उसके परिचालन विधि।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को फसल बीमा।
- पुस्तपालन एवं वार्षि लेखा की तैयारी विधि (अभ्यास सहित)
- अन्य समयानुकूल विषय।

वर्ष 2007 से नवम्बर, 2010 तक कुल 818 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनकी जिलावार स्थिति निम्न हैं :–

जिलावार सम्मिलित प्रतिभागी

क्रम सख्या	जिला	संख्या
1	मधुबनी	130
2	गोपालगंज	130
3	सिवान	70
4	सीतामढ़ी	70
5	गया	88
6	सारण	97
7	भोजपुर	182
8	समस्तीपुर, मुजपुफरपुर बेगुसराय (सी0 एस0 एस0 के तहत)	51
		कुल – 818

वित्तीय वर्ष 2009–10 में (नवम्बर, 10) तक प्रशिक्षण केन्द्र की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार है :–

वित्तीय स्थिति

नवंबर 2010 तक

आय के स्त्रोत :– (1) कॉरपस फण्ड में प्राप्त राशि

(2) प्रशिक्षण शुल्क में प्राप्त राशि

(3) विभाग से प्रशिक्षण मद में प्राप्त राशि

(1) कॉरपस फण्ड में प्राप्त राशि का विवरण :–

क. कुल प्राप्त राशि	–	1,87,450.00
ख. कॉरपस फण्ड का ब्याज	–	48550.00
	कुल –	236000.00

(2) प्रशिक्षण शुल्क में प्राप्त राशि :— 7,40,315.00

(3) विभाग से प्रशिक्षण मद में प्राप्त राशि :— 50,000.00
(वर्ष 2009—10 में)

निवेश

क. कॉरपस फण्ड से सावधि जमा में — 2,36,000.00

ख. प्रशिक्षण शुल्क आदि से सावधि जमा — 7,00,000.00
(यह संस्थान द्वारा स्वअर्जित फण्ड हैं)

ग. बचत खाता में — 1,96,345.73 (30.11.2010 तक)

घ. बचत खाता पर अर्जित ब्याज — 26,042.00 (30.11.2010 तक)

ड. गोदरेज मैट्रेस खरीदगी — 32,999.00

कुल — 11,91,386.73 रूपये

*****

VI. लेखा अंकेक्षण

1. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत सहकारी समितियों के लेखा का प्रतिवर्ष अंकेक्षण एक वैधानिक अनिवार्यता हैं। एतद्दर्थ निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा समितियों के वैधानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण, समवर्ती अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते हैं। विभाग में विशिष्ट श्रेणियों की सहकारी समितियों के लेखा अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का एक पैनल भी स्वीकृत है, जिन्हें अंकेक्षण मैन्यूअल के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

सहकारी समितियों में अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि के प्रावधानों के आलोक में जाँच कर समिति के वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन/सत्यापन, त्रुटियों/अनियमितताओं/ दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपाय का परामर्श देना है।

विगत आठ वर्षों मे सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नांकित सारणी से स्पष्ट है :–

वर्ष	अंकेक्षित सहकारी समितियों की संख्या			
	पैक्स	व्यापार मंडल	अन्य	कुल
2003-04	2265	137	789	3191
2004-05	2171	152	757	3080
2005-06	3039	167	445	3651
2006-07	3464	134	569	4167
2007-08	2269	68	306	2643
2008-09	2030	67	390	2487
2009-10	2327	31	62	2420
2010-11	2046	13	-	2059

नोट : वर्ष 2010–11 में पुनर्गठित पैक्सों के आस्तियों एवं देनदारियों के निर्धारण कार्य के कारण अन्य समितियों में निर्वाचन नहीं हुआ है।

सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति

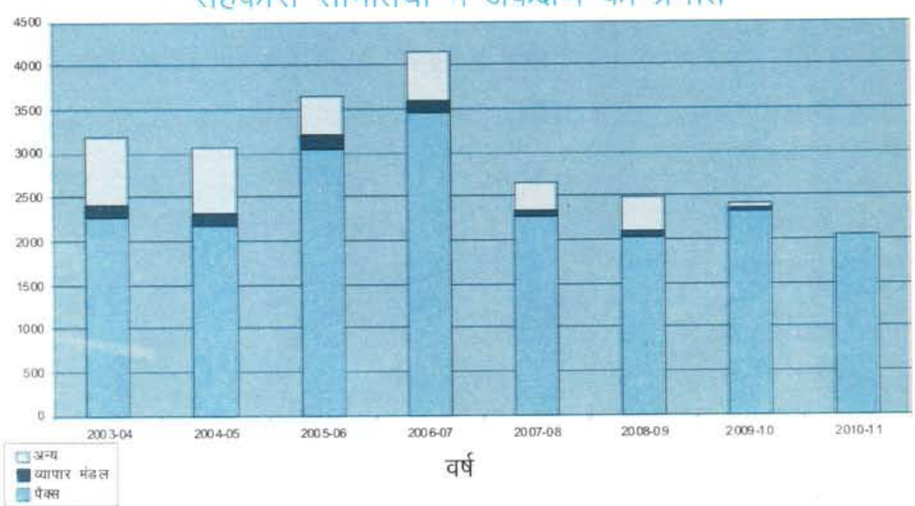

अबतक वैद्यनाथन कमिटि के अनुशंसा के आलोक में सहकारी साख संरचना के पुनरूद्धार हेतु 6040 पैक्सों में विशेष अंकेक्षण संपन्न किया गया है। पैक्सों के पुनर्गठन के पश्चात उसके आस्तियों एवं देनदारियों का विभाजन किया जा रहा है। 04/01/11 तक 6702 पैक्सों के आस्तियों एवं देनदारियों का विभाजन किया जा चुका है।

अंकेक्षकों की कमी के कारण सनदी लेखाकार एवं सेवानिवृत अंकेक्षकों से भी समितियों का अद्यतन अंकेक्षण कराने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है।

सनदी लेखाकार का एक पैनल भी है। उस पैनल के अंकेक्षकों से शीर्ष सहकारी संस्थायें, केन्द्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ, अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक, प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण समिति, कर्मचारी साख समिति एवं प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ विभागीय प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक अंकेक्षण कराने हेतु स्वतंत्र हैं।

सनदी लेखाकार पैनल के अंकेक्षकों के लिए विभागीय परिपत्र के अन्तर्गत अंकेक्षण शुल्क के निर्धारण एवं भुगतान के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश भी निर्गत किए गए हैं। इस परिपत्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का अंकेक्षण शुल्क वार्षिक कारोबार अथवा कार्यशील पूंजी के आधार पर आकलित की जाती है।

बिहार सहकारी समिति नियमावली, 1959 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अन्दर समिति का अन्तिम लेखा एवं विवरणी निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं अंकेक्षक को समर्पित कर देना है। अन्तिम लेखा विवरणी प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा तैयार नहीं किये जाने की स्थिति में निबंधक, सहयोग समिति द्वारा उसे सशुल्क तैयार कराने का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि यदि सहकारी समिति की प्रबन्धकारिणी समिति अधिनियम, नियमावली अथवा बाई–लॉज के तहत् निर्धारित जिम्मेवारी निभाने में विफल रहती है तो, सफाई का एक मौका देते हुए निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति को अधिकतम छः माह के लिए निलम्बित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यथेष्ट कारण उपलब्ध रहने पर प्रबन्धकारिणी समिति के सभी अथवा कुछ सदस्यों को अधिकतम तीन वर्षों के लिए प्रबन्धकारिणी समिति के लिए चुने जाने के लिये अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।

जो समिति जान–बूझकर अपना लेखा एवं अभिलेख अंकेक्षण हेतु उपलब्ध कराने में आना–कानी करते है तो, उनके विरूद्ध Non-Production of Records के लिए मामला दायर किया जा सकता है और इस अपराध के लिए अधिकतम छः माह की कैद अथवा 500 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अनुसार सहकारी समितियों को सहकारिता वर्ष की समाप्ति के पाँच माह के अन्दर विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ को उपलब्ध कराना है, जिसमें अंकेक्षित लेखा भी शामिल है। उक्त प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने के अपराध में कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।

निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना के ज्ञापांक 3095 दिनांक 07/06/2010 द्वारा पैक्स, व्यापार मंडल, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक को छोड़कर विभागीय पत्रांक 2440 दिनांक 09.06.09 के आलोक में अन्य सभी प्रकार के सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण हेतु 82 सनदी लेखाकारों का एक पैनल जारी किया गया।

*****

2. वैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में पैक्सों के अंकेक्षण / विशेष अंकेक्षण

वैद्यनाथन समिति के अनुशंसा के आलोक में राज्यान्तर्गत कुल पैक्सों एवं बहुधंधी स0स0 की संख्या–6059 के विरूद्ध 6040 पैक्सों एवं बहुधंधी स0स0 का वैद्यनाथन समिति की अनुशंसाओं के आलोक वैधानिक अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न हो चुका है।

2. पुनर्गठन के उपरांत राज्यान्तर्गत कुल पैक्सों की संख्या 8463 हो गयी है। जिसमें से 7398 पैक्सों के आस्तियों एवं दायित्वों का बॅटवारा किया जाना है। 7403 पैक्सों में से 6702 पैक्सों के आस्तियों एवं दायित्वों का बॅटवारा सम्पन्न किया जा चुका है शेष बचे 696 पैक्सों का भी बॅटवारा चालू वित्तिय वर्ष में सम्पन्न करा लिये जाने का लक्ष्य है ।

3. विभागीय पत्रांक 2440 दिनांक 9.06.09 द्वारा पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के अतिरिक्त सभी प्रकार की समितियों का अंकेक्षण सनदी लेखाकारों से कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके आलोक में सनदी लेखाकारों एवं सेवानिवृत अंकेक्षको का पैनल निबंधक स0स0 द्वारा प्रस्वीकृत किया गया है। पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित कर चालू सहकारिता वर्ष में कुल 116 सनदी लेखाकारों का पैनल स्वीकत किया गया है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंक का अंकेक्षण नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सनदी लेखाकारों के पैनल से कराया जा रहा है।

   वर्ष 2009–10 का सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों का तुलन पत्र तैयार हो चुका है।

4. वैद्यनाथन समिति की अनुशंसा के आलोक में पैक्सों के अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण की प्राथमिकता के कारण राज्यान्तर्गत 391 व्यापार मंडल स0स0 में से मात्र 13 व्यापार मंडल का अंकेक्षण वर्ष 2009–10 का सम्पन्न हुआ है।

वैद्यनाथन समिति के अनुशंसा के आलोक में पैक्सों विशष अंकेक्षण की अद्यतन स्थिति

प्रतिवेदन दिनांक : 10.02.11

क्रमांक	जिला का नाम	जिले में कुल पैक्सों की संख्या	एम.पी.स ी.एस. की संख्या	एम.पी.सी .एस. एवं पैक्सों की संख्या	अंकेक्षित पैक्सों एवं एम.पी.सी.ए स. की संख्या	पैक्सों के विशेष अंकेक्षणों की संख्या	वैद्यनाथन समिति के अनुशंसा के आलोक में लाभ पाने वाले पैक्सों की संख्या	समितियों की संख्या जिनका विशेष अंकेक्षण होना है।	विशेष अंकेक्षित समितियों की संख्या जिन्हें लाभ नहीं मिला है ।	समितियों की संख्या जिनका अंकेक्षण नहीं हुआ है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	पटना	335	0	335	334	334	328	0	6	1	DLIC हो चुका है
2	नालन्दा	222	0	222	222	222	217	0	5	0	DLIC हो चुका है
3	भोजपुर	214	0	214	214	366	337	0	29	0	DLIC हो चुका है
4	बक्सर	152	0	152	152					0	
5	रोहतास	227	0	227	227	354	339	0	15	0	DLIC हो चुका है
6	कैमूर	127	0	127	127					0	
7	गया	236	0	236	345	345	300	0	45	0	DLIC हो चुका है
8	जहानाबाद	65	0	65							
9	अरवल	44	0	44							
10	नवादा	161	0	161	161	161	135	0	26	0	DLIC हो चुका है
11	औरंगाबाद	195	0	195	192	192	177	0	15	3	DLIC हो चुका है
12	भागलपुर	169	0	169	292	292	231	0	61	0	DLIC हो चुका है
13	बाँका	123	0	123						0	
14	मुंगेर	82	0	82	82	304	246	0	58	0	DLIC हो चुका है
15	जमूई	98	0	98	98					0	
16	लक्खीसराय	59	0	59	59					0	
17	शेखपुरा	65	0	65	65					0	
18	बेगूसराय	133	0	133	133	133	120	0	13	0	DLIC हो चुका है
19	खगड़िया	90	0	90	90	90	88	0	2	0	DLIC हो चुका है
20	वैशाली	166	4	170	170	170	156	0	14	0	DLIC हो चुका है
21	मुजफ्फरपुर	200	0	200	200	200	173	0	27	0	DLIC हो चुका है
22	बेतिया	258	90	348	347	347	238	0	109	1	DLIC हो चुका है
23	मोतिहारी	342	0	342	342	342	340	0	2	0	DLIC हो चुका है
24	सीतामढ़ी	152	0	152	187	187	142	0	45	1	DLIC हो चुका है
25	शिवहर	36		36							
26	समस्तीपुर	183	0	183	183	183	178	0	5	0	DLIC हो चुका है
27	मधुबनी	198	0	198	197	197	178	0	19	1	DLIC हो चुका है
28	दरभंगा	180	0	180	180	180	161	0	19	0	DLIC हो चुका है
29	पूर्णिया	175	0	175	175	395	380	0	15	1	DLIC हो चुका है
30	किशनगंज	81	0	81	81						
31	अररिया	140	0	140	139						
32	कटिहार	150	0	150	150	150	144	0	6	0	
33	सहरसा	85	0	85	85	293	247	0	46	0	
34	मधेपुरा	109	0	109	109					0	
35	सुपौल	109	0	109	99					10	
36	सारण	183	0	183	183	183	173	0	10	0	
37	सिवान	209	0	209	208	208	196	0	12	1	DLIC हो चुका है
38	गोपालगंज	212	0	212	212	212	211	0	1	0	DLIC हो चुका है
	कुल योग	5965	94	6059	6040	6040	5435	0	605	19	

समिति की सं. जिसका लाभ पैकेज से प्राप्त होना है–624

समिति की सं. जिसका अंकेक्षण हो चुका है–605

विशेष अंकेक्षण संपन्न समिति की संख्या–605

विभागीय पत्रांक–3964दिनांक 16.07.10 के आलोक में विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर समेकित प्रतिवेदन :–

क्रमांक	जिले का नाम	जिले में अंकेक्षकों की संख्या	पुनर्गठन के उपरान्त जिले में अविभाजित पैक्सों की संख्या	विभाजन के उपरांत नवसृजित पैक्सों की संख्या	जिले में कुल पैक्सों की संख्या	दिनांक4-01.11 तक पैक्सों, जिनके आस्तियों एवं देनदारियों का विभाजन किया गया की संख्या	वैसे पैक्सों की संख्या जिनके आस्तियों एवं दायित्वों का बंटवारा नहीं हुआ है।	समर्पित प्रतिवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	14	54	277	331	275	2	240
2	नालन्दा	5	24	225	249	200	25	111
3	भोजपुर	9	28	200	228	186	14	169
4	बक्सर		21	121	142	95	26	91
5	रोहतास	7	34	212	246	199	13	178
6	कैमूर		3	148	151	145	3	103
7	मुजफ्फरपुर	5	12	375	387	338	37	235
8	वैशाली	5	38	252	290	237	15	220
9	सीतामढी	2	26	247	273	272	28	170
10	शिवहर			53	53			
11	प. चम्पारण	5	75	240	315	233	7	212
12	पू. चम्पारण	8	95	314	409	296	18	180
13	भागलपुर	5	75	167	242	123	44	205
14	बॉका		31	154	185	116	38	
15	मुंगेर	9	25	76	101	72	4	250
16	जमूई		17	136	153	130	6	
17	लक्खीसराय		0	80	80	74	6	
18	शेखपुरा		26	28	54	27	1	
19	बेगूसराय	5	24	233	257	217	16	180
20	खगड़िया	2	48	81	129	81	0	81
21	दरभंगा	4	28	302	330	283	19	201
22	मधुबनी	5	6	393	399	354	39	280
23	समस्तीपुर	7	21	360	381	345	15	331
24	सारण	3	10	320	330	191	129	135
25	सिवान	6	8	285	293	260	25	230
26	गोपालगंज	5	10	224	234	220	4	170
27	गया	11	13	319	332	300	19	249
28	जहानाबाद		0	93	93	90	3	66
29	अरवल		0	68	68	68	0	35
30	औरंगाबाद	6	15	189	204	153	36	144
31	नवादा	4	21	166	187	161	5	85
32	सहरसा	8	13	140	153	124	16	96
33	मधेपुरा		19	151	170	151	0	120
34	सुपौल		30	151	181	107	44	79
35	पूर्णियाँ	10	65	186	251	176	10	192
36	किशनगंज		35	91	126	87	4	
37	अररिया		52	166	218	151	15	
38	कटिहार	5	63	175	238	165	10	145
	कुल	**155**	**1065**	**7398**	**8463**	**6702**	**696**	**5183**

VII. परिशिष्ट

परिशिष्ट – I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय, यथा राज्य स्तरीय (एपेक्स) केन्द्रीय एवं प्राथमिक है ।

- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग उद्देष्य के अनुरुप साख एवं गैर साख समितियों का गठन शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक है ।

- कृषि साख की सुविधा के निमित ग्रामीण क्षेत्र में पैक्स गठित है ।

- कृषि उत्पाद के पणन एवं भण्डारण के निमित पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के सुलभ वितरण हेतु उपभेक्ता भंडार गठित है ।

- महिला विकास के निमित्त अलग से महिला विकास सहकारी समिति गठित है ।

- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण से दुग्ध उत्पादक, कुकुट पालन तथा श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ एवं रोजगारपूरक चर्मकार, बुनकर, औद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि सहकारी समितियाँ गठित हैं ।

- **सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों में बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित हैं ।**

परिशिष्ट – II

राज्य मे निबंधित सहकारी समितियों की संख्या

01	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियाँ (पैक्स)	8463
02	पणन सहयोग समितियाँ (व्यापार मंडल)	391
03	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	1874
04	बचत एवं साख सहकारी समितियाँ	327
05	मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ	590
06	गृह निर्माण सहयोग समितियाँ,	2741
07	औद्योगिक सहयोग समितियाँ	2647
08	विशेष प्रकार की सहकारी समितियाँ	393
09	कुक्कुटपालन सहयोग समितियाँ	237
10	शीत भण्डार सहकारी समितियाँ	50
11	श्रमिक सहयोग समितियाँ	4577
12	ग्रामोदय सहयोग समितिया	844
13	महिला विकास सहयोग समितियाँ	430
14	बुनकर सहयोग समितियाँ	1091
15	फल सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ	342
16	तेल उत्पादक सहयोग समितियाँ	474
17	दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियाँ	1503
18	ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समितियाँ	76
19	सिंचाई सहयोग समितियाँ	557
20	संयुक्त कृषि सहयोग समितियाँ	406
21	नाव यातायात सहयोग समितियाँ	89
22	चर्मकार सहयोग समितियाँ	187
23	परिवहन सहयोग समितियाँ	172
24	सर्वोदय सहयोग समितियाँ	54
25	सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समितियाँ	7887
	कुल	**36402**

नोट :– स्वावलम्बी सहयोग समितियाँ 1935 के तहत् पूर्व से निबंधित सहकारी समितियों का सम्परिवर्तन भी सम्मिलित है।

परिशिष्ट – III

विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरुप है जिसके अंतर्गत सचिवालय एवं निदेशालय, क्रमशः सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अंतर्गत, पृथक-पृथक कार्यरत है ।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरुप परिलक्षित होगा :-

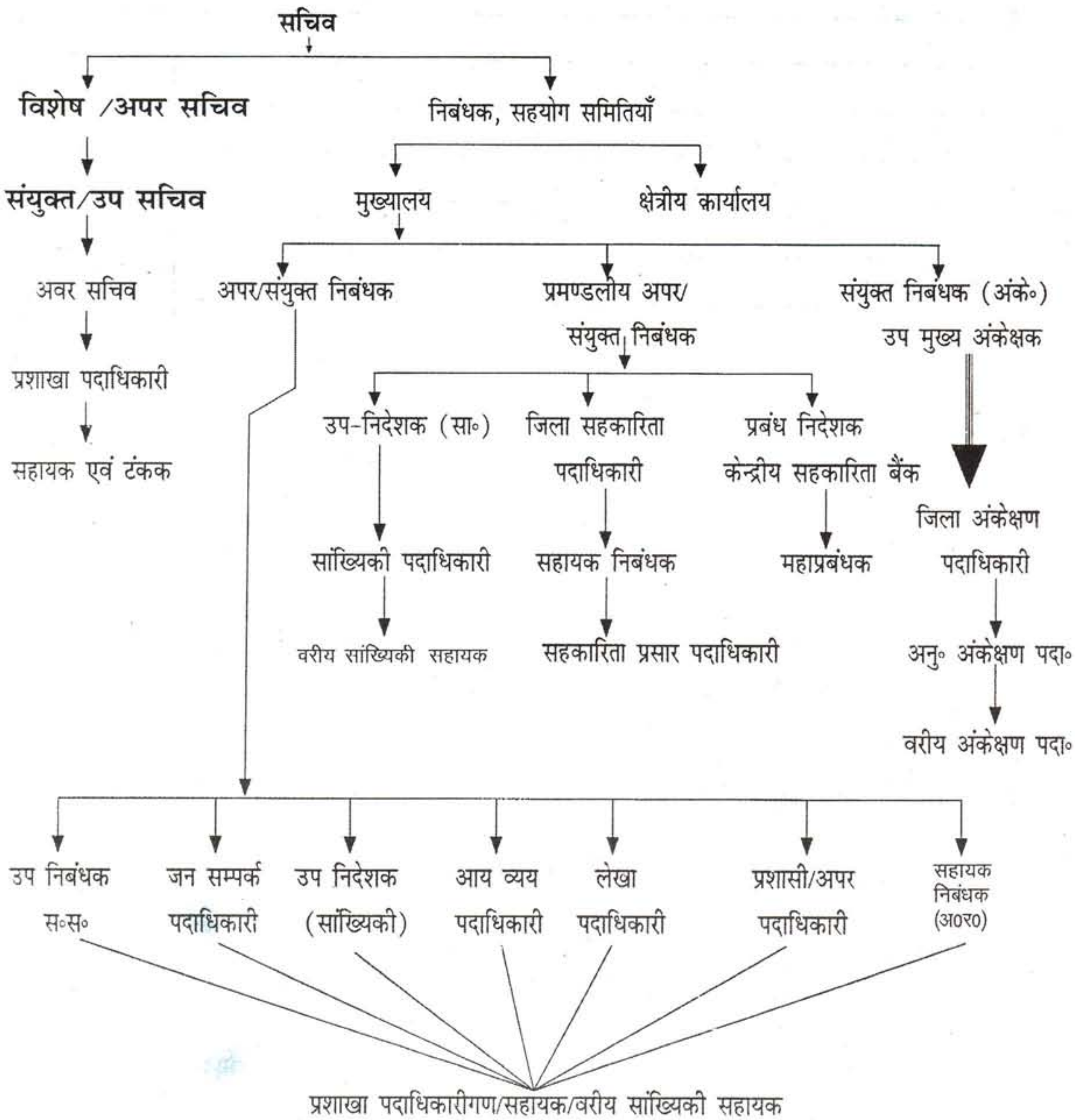

परिशिष्ट – IV

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमण्डल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमण्डलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित है:–

प्रमण्डल	जिला सहकारित पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमण्डल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर (पू.)	1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके.) तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर	1. मुजफ्फरपुर
		2. मुजफ्फरपुर (प.)		2. वैशाली
	2. वैशाली	3. हाजीपुर		3. सीतामढ़ी
	3. सीतामढ़ी	4. सीतामढ़ी		4. मोतीहारी
		5. पुपरी		5. बेतिया
	4. शिवहर	6. शिवहर		
	5. मोतीहारी	7. मोतीहारी		
		8. सिकरहना		
	6. बेतिया	9. बेतिया		
		10. बगहा		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमण्डल, पटना	7. पटना	11. पटना सदर	2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके.) पटना प्रमण्डल, पटना	6. पटना
		12. बाढ़		
		13. पटना सिटी		
		14. दानापुर		
		15. मसौढ़ी		
	8.नालन्दा	16. बिहारशरीफ		7. नालन्दा
		17. हिलसा		
	9. भोजपुर	18. आरा		8. भोजपुर (आरा)
	10. बक्सर	19. बक्सर		
		20. डुमराँव		
	11. रोहतास	21. सासाराम		9. रोहतास
		22. विक्रमगंज		
	12. कैमूर	23. कैमूर		

1	2	3	4	5
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर	13. भागलपुर	24. भागलपुर	3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके॰) भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर	10. भागलपुर
		25. नवगछिया		
	14. बाँका	26. बाँका		
	15. मुंगेर	27. मुंगेर		11. मुंगेर
	16. जमुई	28. जमुई		
	17. शेखपुरा	29. शेखपुरा		
	18. लखीसराय	30. लखीसराय		
	19. बेगूसराय	31. बेगूसराय		12. बेगूसराय
	20. खगड़िया	32. खगड़िया		13. खगड़िया
4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	21. दरभंगा	33. दरभंगा	4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके॰) दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	14. दरभंगा
		34. बेनीपुर		
	22. मधुबनी	35. मधुबनी		15. मधुबनी
		36. झंझारपुर		
		37. बेनीपट्टी		
	23. समस्तीपुर	38. समस्तीपुर		16. समस्तीपुर
		39. दलसिंहसराय		
		40. रोसड़ा		
		41. पटोरी		
5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमण्डल, छपरा	24. छपरा	42. छपरा	5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके॰) सारण प्रमण्डल, छपरा	17. छपरा
		43. सोनपुर		
	25. सिवान	44. सिवान		18. सिवान
	26. गोपालगंज	45. गोपालगंज		19. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमण्डल, गया	27. गया	46. गया	6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके॰) मगध प्रमण्डल, गया	20. गया
		47. शेरघाटी		
	28. जहानाबाद	48 जहानाबाद		
	29. अरवल	49. अरवल		
	30. औरंगाबाद	50. औरंगाबाद		21. औरंगाबाद
	31. नवादा	51. नवादा		22. नवादा
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमण्डल, सहरसा	32. मधेपुरा	52. मधेपुरा	7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंके॰) कोशी एवं पूर्णिया प्रमण्डल, सहरसा	23. सहरसा
		53. उदाकिशनगंज		24. पूर्णिया
	33. सहरसा	54. सहरसा		25. कटिहार
		55. वीरपुर		
		56. त्रिवेणीगंज		
	34. सुपौल	57. सुपौल		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	35. पूर्णिया	58. पूर्णिया		
	36. किशनगंज	59. किशनगंज		
	37. अररिया	60. अररिया		
	38. कटिहार	61. कटिहार		

इसके अतिरिक्त बिस्कोमान, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि॰, बिहार राज्य हाऊसिंग को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि॰, पटना तथा छपरा, गया, पटना एवं सहरसा में उप–मुख्य अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय भी है।

*****

बटाई पर खेती करने वाले किसान को धान अधिप्राप्ति का चेक के द्वारा भुगतान

पैक्स में खाद व्यवसाय

सहकार मेंला जयपुर में बिहार की सहकारी समितियों को सहकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा प्रदत्त तीन पुरस्कारों में प्राप्त मेडलों के साथ समिति / सहकारिता विभाग के प्रतिनिधि

बायोमास गैसीफायर आधारित कोल्ड स्टोरेज

बायोमास गैसीफायर

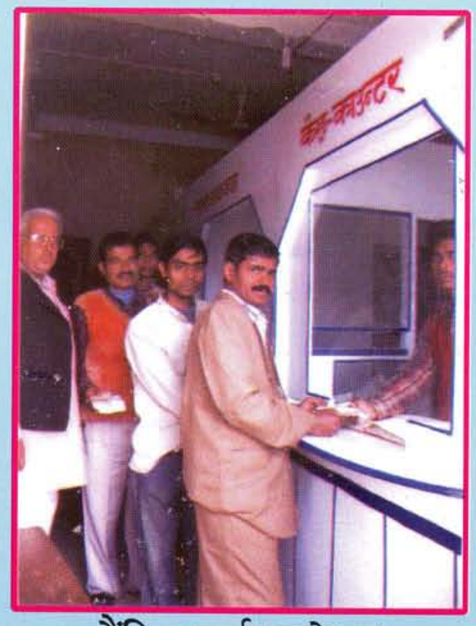

बैंकिग कार्य करते हुए
ढेपहा भूईंया पैक्स, सीवान